मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 25 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 18 – 24 जून 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

वर्ष 2023–24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य.....3

मोदी सरकार किसान, मजदूर विरोधी और कारपोरेट समर्थक.....5

संविधान की मूल रूपरेखा: सार्थकता और प्रभाव.....8–9

भाकपा के सत्याग्रह को मिला व्यापक जन समर्थन

आंदोलन में एक लाख से अधिक लोगों ने लिया भाग

किरणेश कुमार

पटना: बिहार में जिला मुख्यालयों पर 'भाजपा हटाओ, देश बचाओ' के नारों के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दो दिवसीय आठ और नौ जून का जन सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। भीषण गर्मी के बावजूद एक लाख से अधिक कार्यकर्ताओं और हमदर्दों ने आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तारियां दी।

इस आंदोलन के माध्यम से केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का फंडा फोड़ किया गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का संकल्प लिया गया। इस आंदोलन की तैयारी डॉ. भीम राव अंबेडकर के जन्म दिन 14 अप्रैल से ही शुरू हो गई थी। गांव गांव पदयात्रा निकाली गई। नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। जीप जत्था के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। शाखा, अंचल और जिला परिषद की बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। आंदोलन की तैयारी को लेकर राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने लगातार जिलों का दौरा कर जिला परिषद की बैठकें ली और आंदोलन की रूप रेखा तैयार की। इस तरह का आंदोलन बिहार में लंबे समय के बाद देखने को मिला। इस आंदोलन से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव आम जनता में काफी बढ़ा है। यह आंदोलन बिहार में आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

पहले चरण में आठ और नौ जून को बिहार के 38 जिलों में से 30 जिलों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें 29 जिलों में आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ जबकि आठ जिलों बेगूसराय, मधुबनी, सहरसा, बांका, दरभंगा, गया, नवादा और शिवहर में दूसरे चरण में 20 जून को सत्याग्रह होगा। इन जिलों में नगर निकाय चुनाव होने के कारण आठ और नौ जून को आंदोलन स्थगित कर 20 जून को करने का फैसला लिया गया।

चिलचिलाती धूप और 44–45 डिग्री तापमान के बीच आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं, खेत मजदूरों, युवाओं की भागीदारी हुई। दो दिनों तक राज्य के अधिकांश जिला समाहरणालय में काम काज ठप रहा। आंदोलनकारियों ने सुबह दस बजे से समाहरणालय का गेट जाम कर दिया था। कई जिलों में आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

आठ जून को केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, भाजपा सरकार द्वारा निजीकरण, लोकतंत्र और संविधान पर किये जा रहे हमले के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालयों पर 'भाजपा हटाओ, देश बचाओ' नारे के साथ दो दिवसीय जन सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की गई। आंदोलन के पहले दिन राज्य के करीब दो दर्जन से अधिक जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया, जिला समाहरणालय का गेट जाम किया गया और हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने सारण, गोपालगंज, शेखपुरा सहित विभिन्न जिलो में गिरफ्तारियां दी। शेखपुरा जिले में तो आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी की गई और तीन थाने में आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर रखा गया।

आंदोलन के पहले दिन आठ जून 2023 को पटना में राज्य सचिव मंडल सदस्य रामलला सिंह, कार्यकारिणी सदस्य गजनफर नबाब, अजय कुमार, जिला सचिव विश्वजीत कुमार, पूर्वी चंपारण में राज्य सचिव मंडल सदस्य रामबाबू कुमार, जिला सचिव विश्वनाथ यादव, शम्भू शरण सिंह, समस्तीपुर में राज्य सचिव मंडल सदस्य रामचन्द्र महतो व जिला सचिव सुरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना, मुजफ्फपुर में राज्य सचिवमंडल सदस्य अजय कुमार सिंह व जिला सचिव रामकिशोर झा, खगड़िया में राज्य सचिवमंडल सदस्य प्रभाशंकर सिंह व जिला सचिव प्रभाकर सिंह, पुनीत मुखिया, गोपालगंज में जिला सचिव गणेश सिंह, जहानाबाद राज्य कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश कुमार, जिला सचिव सुरेश सिंह, अम्बिका प्रसाद, कैमूर राज्य कार्यकारिणी सदस्य रविन्द्र नाथ राय, जिला सचिव प्रो. कमला सिन्हा, भोजपुर में जिला सचिव उत्तम प्रसाद, बक्सर पूर्व सांसद तेजनारायण सिंह, पूर्व विधायक रामाश्रय सिंह, जिला सचिव जायोतेश्वरसिंह, मधेपुरा राज्य सचिव मंडल प्रमोद प्रभाकर, जिला सचिव विद्याधर मुखिया, सारण जिला सचिव रामबाबू सिंह, चुल्हन प्रसाद सिंह, औरंगाबाद राज्य कार्यकारिणी सदस्य इरफान अहमद, जिला सचिव रामचंद्र यादव, सीवान जिला सचिव तारकेश्वर यादव, पूर्णिया जिला सचिव विकास चन्द्र मंडल, नालंदा जिला सचिव राजकिशोर प्रसाद, शेखपुरा जिला सचिव प्रभात कुमार पांडेय, लखीसराय राज्य कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र कुमार व जिला सचिव हर्षित यादव, कटिहार में विनोदानंद साह, वैशाली जिला सचिव अमृत गिरी, अशोक ठाकुर, अररिया में राज्य सचिवमंडल सदस्य विजय नारायण मिश्र, जिला सचिव डॉ. एस

शेष पेज 15 पर...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 14 जून 2023 को जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय, अजय भवन, नई दिल्ली में उनसे मिलने आए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि कम्युनिस्ट पार्टी जनविरोधी अध्यादेश का संसद के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर विरोधी करेगी। उन्होंने कहा कि अध्यादेश संघवाद के सिद्धांत को कमजोर करता है और आज जो दिल्ली में हो रहा है, कल किसी भी अन्य राज्य में हो सकता है।

इस मुलाकात के समय डी. राजा के साथ राष्ट्रीय परिषद सचिवगण–डा. के. नारायणा, डा. बी.के. कांगो एवं रामकृष्ण पंडा के अलावा पार्टी के दिल्ली राज्य सचिव डा. दिनेश वार्ष्णेय और राष्ट्रीय परिषद सदस्य शंकरलाल उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी के दो संसद सदस्य–संजय सिंह और राघव चढढा भी केजरीवाल के साथ थे।

केरल में डिजिटल क्रांति

2019 में संघ–बीजेपी सरकार ने ''डिजिटल इंडिया'' के सहारे ऑनलाईन इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के बड़े वादे किये थे जिसमें देश में डिजिटलाइज्ड सशक्तीकरण और समृद्ध ज्ञान के साथ परिवर्तन करने की दूरदृष्टि विकसित करने के लिये भी क़दम शामिल थे। यह योजना 2022 तक पूरी हो जाने की भी बात कही गई थी ताकि जनता को इस सुविधा का सुयोग मिले। लेकिन 2023 आधे से भी अधिक ख़त्म हो चुका है, अभी तक इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये कदम नहीं उठाए गए हैं।

केरल ने इस सपने को सच में बदलने की पहल की है, यह पहला राज्य है देश का, जो चौथी क्रांति की तरफ इलेक्ट्रानिक युग के बाद बढ़ चला है। डिजिटलाईजेशन की ओर यह बढ़ता हुआ परिवर्तन केरल में इसके लिये भी आश्वस्त करता है कि डिजिटल पहुंच सबके लिये होगी। यूनिवर्सल इंटरनेट कनेक्शन, केरल सरकार फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की मदद से मुहैया कराएगी। पहले चरण में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीस लाख लोगों के लिये निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यह डिजिटल विभाजन को कम करने की एक सार्थक कोशिश है। तीन साल से पहले राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि इंटरनेट तक पहुंच हर इंसान का बुनियादी अधिकार है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि उत्पादक शक्तियों के विकास से ही सामाजिक–आर्थिक गठन बदलते और बनते हैं। इसलिये डिजिटल दुनिया में हिस्सा लेने के लिये इंटरनेट को एक बुनियादी जरूरत के रूप में देखना ही पड़ेगा, और यह डिजिटल विश्व किसी सीमा में नहीं बंधा है। यह एक ऐसी दुनिया के द्वार खोलता है, जो उत्पादन पर नहीं, ज्ञान की बुनियाद पर टिकी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया मस्तिष्क की प्रक्रियाओं के समान ही होती है। यह किसी मनुष्य के श्रम का साधन नहीं है। यह श्रम ही है, मज़दूर का, जो दोनों में मध्यस्थता करता है और इस तथ्य का महत्व बहुत दूर तक जाता है, जिसमें वर्तमान और भविष्य पर इसके पड़ने वाले प्रभाव भी शामिल हैं। कार्ल मार्क्स ने दो सदी पहले ही यह उद्घाटित कर दिया था कि मूर्त पूंजी, अपने उपयोग मूल्य(नेम अंसनम) में पूंजी की परिभाषा से भी परे चला जाता है। इतना ही नहीं, केरल जिस इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के प्रभाव से गुजर रहा है, उसमें अब नये क्षितिज खुल रहे हैं जिन्हें अभी परिभाषित करना बाकी है। यह वस्तुतः क्वांटम क्रांति की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत बुनियादी परिवर्तन हो रहे हैं, जहां वस्तु अर्थात कमोडिटी और श्रम तथा पूंजी में परिवर्तन हो रहे हैं और उनकी जगह संकेत, किरण, सिग्नल और प्रतिबिम्ब ले रहे हैं जो आधुनिक विश्व का हिस्सा नहीं बन सकते और इसलिये इससे बाहर होते जा रहे हैं।

इस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चरल संदर्भ को यह राज्य प्रस्तुत कर रहा है, जिसके द्वारा इंटरनेट की सेवा सुदूर वायनाड के इलाकों से लेकर अन्य हिस्सों में भी मुहैय्या की जायगी। सूचना की प्रमुख धारा से अलग यह आपूर्ति अब शुरू हो चुकी है। केरल के बिजली बोर्ड को 34,961 किलोमीटर तक में केबल से कनेक्शन लगाने का जिम्मा दिया गया है। के.एफ.ओ.एन., केरल का बिजली बोर्ड और केरल के स्टेट इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (क्षैप्ल्प्ट), ये सभी मिलकर इस दायित्व को निभा रहे हैं। केएफओ

संपादकीय

ऑन को डॉट ने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (आईपी) लाइसेंस दिया है, जिसमें इसे इंटरनेट सेवा देने की स्वीकृति मिली है। उनकी योजना के अनुसार, 140 असेम्बली क्षेत्र में फैले 14,000 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी में से दस असेम्बली क्षेत्रों से सौ परिवारों को इस प्रारंभिक चरण में यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने निम्नतम स्तर में रहने वालों के लिये डिजिटल प्रशिक्षण की शुरूआत का निश्चय किया है, ताकि समाज का हर सदस्य इस डिजिटल सेवा से लाभ ले सकें।

प्रत्येक परिवार और सदस्य को इसमें सुशिक्षित कर निपुण बना दिया जायगा ताकि इंटरनेट सेवा से संतुष्ट हो सकें। साथ ही स्थानीय संगठनों की मदद से यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि इंटरनेट के द्वारा प्रत्येक परिवार को 1.5 ग्ठ प्रतिदिन 15 डठ्ठै गति से मिलता रहेगा। दूसरे चरण में इंटरनेट सेवा सीमित आय में भी ले सकने की सुविधा रहेगीं। ये सभी कदम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि केरल में परिवर्तन निम्नस्तर से ही शुरू हो रहा है, अर्थात जमीनी स्तर से, सुविधा, सफलता की दृष्टि से। इंटरनेट कनेक्शन गरीबी रेखा के नीचे की आबादी और सरकारी संस्थाओं तक पहुंचाने के लिये ''केएफओ ऑन'' की इस योजना में 1548 करोड़ रुपए का व्यय किया जायगा, बाकी भी आवश्यकतानुसार व्यवस्था हो जायगी। एल.डी.एफ. की सरकार ने एक कमिटी भी गठित की है जो इस नेटवर्क के मुद्रीकरण की संभावनाओं पर खोज करेगी और विचार भी। केएफओएन के 46 फाइबर्स में से बाइस (22) का उपयोग नेटवर्क में ही हो जायगा और के.एस.ई.बी. कुछ हिस्सा उपयोग में ले लेगा। बाकी को पट्टे पर दिया जा सकता है। वस्तुतः केरल ही एकमात्र प्रदेश है जो कुछ थोड़े ही प्रांतों में, जिन्होंने उच्चतर कनेक्टिविटी के लिये कदम उठाने की हिम्मत की है। धीरे–धीरे यह योजना विकसित होती जा रही है और निचले तबके के अन्य हिस्सों को भी इस कुशलता में निपुण करने की कोशिश जारी है।

केरल में डिजिटल पहुंच को सार्वजनिक बनाने की कोशिश जारी है। यहां सरकारी संस्थानों में डिजिटल सेवा सक्रिय है, साथ ही सिंगल विन्डो पोर्टल इंटरनेट उपयोग भी शिक्षा के स्तर पर निर्भर करता है और उच्च तथा साधारण शिक्षा लेने वालों में असमानता आ जाती है। शिक्षा के स्तर की भिन्नता भी ऑन लाइन सक्रियता को प्रभावित करती है। जिन परिवारों में सामान्य शिक्षा भी उपलब्ध है, वहां दूर–दराज से काम और शिक्षा ही इंटरनेट उपयोग का उद्देश्य होते हैं। साथ ही घरों में शीघ्र संदेश से एक–दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया उन लोगों में शुरू हो चुकी है, जिन्हें सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा मिली हुई है। कई दूर–दराज के क्षेत्र हैं जहां सब कुछ धीमी गति से ही चलता है, वहां इंटरनेट एक दूसरे के साथ संयोग स्थापित करने में उपयोगी साबित होता है, जैसे कोविड के दिनों में हुआ था। उन सुदूर इलाकों तक संयोग स्थापित करने के लिये इंटरनेट ही एकमात्र सुविधा थी जो कम समय में संपर्क स्थापित करती थी।

यह आज साबित हो चुका है कि इंटरनेट के उपयोग से उच्चतर संपर्क स्थापित करने में श्रम का निर्माण, जीविकोपार्जन की सुविधाएं और उसकी विविधता और इस प्रकार जीविकाओं की उपलब्धता में भी वृद्धि की संभावना रहती है। इंटरनेट की उपलब्धता अन्य जनसेवाओं की उपलब्धता को भी आसान बनाती है, उदाहरणस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं,अस्पताल और अन्य मेडिकल सुविधाएं, और अंततः यह समाज की और आर्थिक व्यवस्था की क्षमताओं को भी विकसित करता है सार्थक रूप से।

मानी जाएं मजदूरों, किसानों की मांगें, पहलवानों को मिले न्याय

नई दिल्लीः केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्लेटफार्म (सीटीयू) और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के मंच से निम्नलिखित संयुक्त विज्ञप्ति आज जारी की गई।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त मंच की बैठक 8 जून 2023 को दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें श्रमिकों और किसानों की मांगों पर कार्यक्रमों और कार्यो के लिए निरंतर पारस्परिक एकजुटता समर्थन पर संतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने न केवल संबंधित प्लेटफार्मों में तैयार किए गए कार्यो के संबंधित कार्यक्रमों के लिए चल रहे समर्थन को जारी रखने के लिए दोहराया बल्कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और देश विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी संयुक्त गतिविधियों की योजना बनाने का निर्णय भी लिया।

उन्होंने नोएडा में किसानों और ट्रेड यूनियनों के चल रहे संघर्ष, वाराणसी और अन्य स्थानों पर लोकतांत्रिक अधिकारों पर नागरिकों के संघर्ष को भी समर्थन दिया। उन्होंने कुरुक्षेत्र में अपनी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी की निंदा की। उन्होंने महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए अपना समर्थन दोहराया और बृजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ प्राथमिकी में यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार करने की मांग की। बैठक ने एनडीए सरकार की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ श्रमिकों और किसानों की एकता को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता महसूस की और अगले महीने फिर से बैठक करने और मांगों और आंदोलन कार्यक्रमों के सामान्य चार्टर को तैयार करने के लिए श्रमिकों और किसानों के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया।

डॉ. अंबेडकर की भूमि को कब्जे से मुक्त कराने हेतु भाकपा का ज्ञापन

सोनभद्रः सोमवार को भाकपा, माकपा और माले के जिला सचिवों ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी से मुलाकात कर राबर्ट्सगंज क्षेत्र के पकरी गांव में डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम आराजी नं 40 रकबा 0.1260 हे. के भूमि पर वर्तमान में एक प्रार्पटी डीलर द्वारा किए कब्जे से मुक्त कराने के लिए लिखित पत्रक दिया और बताया कि राबर्ट्सगंज तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पकरी के राजस्व मौजा तिरनाही में आराजी नं 40 रकबा 0.1260हे. भूमि डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम से आरक्षित है जो राजस्व के रिकार्ड अभिलेख में भी अंकित है। वर्तमान समय में रमाकान्त विश्वकर्मा जो पेशे से प्रार्पटी डीलर है वह अपने लाभ के लिए उक्त भूमि पर क्षेत्रीय लेखपाल व स्थानीय चौकी की मदद से सड़क का निर्माण कर अपनी प्लाटिंग वाली जगह तक रास्ता ले जा रहा है।

वामपंथी नेताओं ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की भूमि को प्रार्पटी डीलर के कब्जे से मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी से त्वरित कार्रवाई करने की मांग किया और कहा कि ऐसा न होने पर हम बड़े आंदोलन किए जाने के लिए बाध्य होंगे। इसके साथ ही इस प्रकरण को लेकर आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जब समाधान दिवस पर राबर्ट्सगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने की बात करते हैं तो उनके साथ मौके पर मौजूद सदर एसडीएम और पुलिस के लोग अभद्रता करते हुए कोतवाली से बाहर निकाल देते हैं। वामपंथी नेताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए मामले की पुलिस के जिम्मेदारों के उपर उचित कार्यवाही करने की मांग की।

इस दौरान प्रमुख रूप से भाकपा के जिला सचिव आर के शर्मा, माकपा के जिला सचिव नंदलाल आर्या, माले के जिला सचिव सुरेश कोल, किसान नेता प्रेमनाथ, नौजवान सभा के नेता नोहर भारती, खेत मजदूर के नेता बाबूलाल और इश्वर दयाल व कमली देवी आदि मौजूद रहे।

वर्ष 2023–24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

7 जून 2023 को केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2023–24 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है जो इस प्रकार हैः

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)	वृद्धि (रुपए में)
धान (सामान्य)	2183	143
धान (ग्रेड ए)	2203	143
ज्वार (हाइब्रिड)	3180	210
ज्वार (मालदंडी)	3235	235
बाजरा	2500	150
रागी	3846	268
मक्का	2090	128
तूर (अरहर)	7000	400
मूंग	8558	803
उड़द	6950	350
मूँगफली	6377	527
सूरजमुखी	6760	360
सोयाबीन (पीला)	4600	300
तिल	8635	805
रामतिल	7734	447
कपास (मध्यम रेशा)	6620	540
कपास (लम्बा रेशा)	7020	640

सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि विपणन सत्र 2023–24 के दौरान खरीफ फसलों के दौरान एमएसपी में वृद्धि किसानों को उचित पारिश्रमिक मूल्य उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय बजट 2018–19 की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने की घोषणा के अनुरूप है। सरकार के अनुसार, इस वर्ष किसानों को बाजरा पर 82%, तुअर पर 58%, सोयाबीन पर 52% और उड़द पर 51 % उत्पादन लागत से अधिक का मुनाफा दिया जाएगा। शेष अन्य फसलों के लिए किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर कम से 50% मार्जिन प्राप्त होने का अनुमान है।

सरकार ने दावा किया है कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसलों में विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एमएसपी में वृद्धि की गई है।

परंतु किसानों की शिकायत है कि सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है वह लाभकारी नहीं है और वह स्वामीनाथन आयोग की तीसरी परिभाषा अर्थात सी2 के आधार पर नहीं है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली 1960 के दशक के मध्य में शुरू की गई थी। इसके पीछे विचार यह था कि कृषि उपजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जाए और किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। देश में खाद्यान्नों की कमी की पृष्ठभूमि में 1966–67 में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को शुरू किया गया। यह मूल्य उत्पादन पर आने वाली अनुमानित लागत पर आधारित है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हर वर्ष विभिन्न फसलों के लिए उत्पादन की लागत का अनुमान लगाता है। लागत का अनुमान लगाने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य लागत तीन किस्म की परिभाषाओं का इस्तेमाल करता है।

पहली परिभाषा है ए2: जो उस वास्तविक खर्च का प्रतिनिधित्व करती है जो फसल पैदा करने के लिए किसान ने किया है। इसमें बीज, उर्वरक, सिंचाई खर्च, कीटनाशक एवं मजदूरी जैसे कृषि निवेशों की लागत शामिल है।

दूसरी परिभाषा है ए2+एफएलः जो फसल पैदा करने के लिए वास्तविक खर्च के साथ–साथ किसान परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए श्रम के आर्थिक मूल्य का भी प्रतिनिधित्व करती है। एफएल का अर्थ है फैमिली लेबर (किसान परिवार द्वारा किया गया श्रम)।

आर.एस. यादव

तीसरी परिभाषा है सी2; जो ए2+एफएल के साथ–साथ खेती में काम आने वाली पूंजीगत संपत्तियों (इसमें जमीन का किराया और खेती में लगने वाली कुल धनराशि पर लगने वाला ब्याज भी शामिल है) का प्रतिनिधित्व करती है।

स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार की तीसरी परिभाषा अर्थात सी2 के आधार का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना चाहिए। आयोग ने कहा कि किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को सी2 के डेढ़ गुने पर तय किया जाना चाहिए।

परंतु सरकार जो मूल्य घोषित करती है वह दूसरी परिभाषा यानी ए2+एफएल के आधार तय करती है जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश (यानी सी2 के डेढ़ गुने) कम होती है।

इसके अलावा, मोदी सरकार के कार्यकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वार्षिक वृद्धि पहले के वर्षों के मुकाबले कम हो रही है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार, मोदी सरकार के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य में वार्षिक वृद्धि पहले के मुकाबले कम हो गई है। 2009–13 के वर्षों में में में 19.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई थी जो मोदी सरकार के दौरान 2014–17 में कम होकर 3.6 प्रतिशत हो गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वार्षिक वृद्धि में इस कमी से भी किसानों की आमदनी घटी है और किसानों का संकट बढ़ा है।

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तो हर साल घोषित करती है परंतु धान, गेंहू, कपास के अलावा अन्य किसी फसल की सरकार द्वारा खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है। धान और गेंहू की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भी कुछ ही राज्यों तक सीमित है और स्थिति यह है कि धान और गेंहू की फसल का बड़ा हिस्सा किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बेचने को मजबूर होते हैं। कभी–कभी, कहीं–कहीं थोड़ी–बहुत दाल की फसलों की सरकार द्वारा खरीद की जाती है परंतु अत्यंत सीमित मात्रा में। जब सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो इसकी घोषणा से किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचता।

फसलों के विविधीकरण की आवश्यकता पर प्रायः जोर दिया जाता है। खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में धान की फसल के स्थान पर अन्य ऐसी फसलों को प्रोत्साहित करने की बातें कही जाती है जिनमें पानी की कम आवश्यकता हो। धान की फसल के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है और बड़ी मात्रा में पानी जमीन से दोहन किया जाता है जिसके कारण जमीन में पानी का स्तर भयानक तौर पर नीचे चला गया है। पंजाब और हरियाणा में धान की फसल पर किसानों का जोर केवल इस कारण है कि धान की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन

शेष पेज 14 पर...

पिछले वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य

08.06.2022 के अनुसार
(रुपये प्रति क्विंटल)

(फसल वर्ष के अनुसार)

क्र.सं.	जिन्स	किस्म	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	(#) न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 की तुलना में 2022-23 में वृद्धि
	खरीफ फसलें							
1	धान	सामान्य	1750	1815	1868	1940	2040	100(5.2)
		ग्रेड 'ए'	1770	1835	1888	1960	2060	100(5.1)
2	ज्वार	हाईब्रिड	2430	2550	2620	2738	2970	232(8.5)
		मालदंडी	2450	2570	2640	2758	2990	232(8.4)
3	बाजरा		1950	2000	2150	2250	2350	100(4.4)
4	रागी		2897	3150	3295	3377	3578	201(6.0)
5	मक्का		1700	1760	1850	1870	1962	92(4.9)
6	अरहर(तूर)		5675	5800	6000	6300	6600	300(4.8)
7	मूंग		6975	7050	7196	7275	7755	480(6.6)
8	उड़द		5600	5700	6000	6300	6600	300(4.8)
9	मूंगफली		4890	5090	5275	5550	5850	300(5.4)
10	सूरजमुखी बीज		5388	5650	5885	6015	6400	385(6.4)
11	सोयाबीन(पीला)		3399	3710	3880	3950	4300	350(8.9)
12	तिल		6249	6485	6855	7307	7830	523(7.2)
13	रामतिल		5877	5940	6695	6930	7287	357(5.2)
14	कपास	मध्यम रेशे	5150	5255	5515	5726	6080	354(6.2)
		लम्बे रेशे	5450	5550	5825	6025	6380	355(5.9)
	रबी फसलें							
15	गेहूं		1840	1925	1975	2015		
16	जौ		1440	1525	1600	1635		
17	चना		4620	4875	5100	5230		
18	मसूर (लेन्टिल)		4475	4800	5100	5500		
19	रेपसीड एवं सरसों		4200	4425	4650	5050		
20	कुसुम्भ		4945	5215	5327	5441		
21	तोरिया		4190	4425	4650	5050		
	अन्य फसलें							
22	कोपरा(कैलेण्डर वर्ष)	मिलिंग	7511	9521	9960	10335	10590	255(2.5)
		बाल	7750	9920	10300	10600	11000	400 (3.8)
23	छिलका रहित नारियल(कैलेण्डर वर्ष)		2030	2571	2700	2800	2860	60(2.1)
24	पटसन		3700	3950	4225	4500	4750	250(5.6)

कोष्ठकों में आंकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

भारत में मधुमेह एक नयी महामारी, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता

जीवनशैली में सुधार अत्यावश्यक है, इलाज का खर्च कम करना होगा

डॉ. ज्ञान पाठक

भारत, जिसे पहले से ही कई वर्षों से दुनिया की मधुमेह राजधानी के रूप में जाना जाता है, में मधुमेह के प्रसार पर नये अपडेट ने देश में मधुमेह विस्फोट की ओर बढ़ रही खतरनाक स्थितियों का खुलासा किया है। आईसीएमआर–आईएनडीएबी के नवीनतम अध्ययन से पता चला है कि लगभग 11.4 प्रतिशत आबादी पहले से ही मधुमेह से पीड़ित है, जबकि 15.3 प्रतिशतप्री–डायबिटिक हैं, अर्थात् मधुमेह होने के कगार पर। जीवन शैली सुधार स्पष्ट रूप से जरूरी हो गया है, और उपचार और मधुमेह प्रबंधन की उच्च लागत कम करना भी, जो 2021 में प्रति रोगी प्रति माह 1265 रुपये अनुमानित थी, और तब से बढ़ रही है।

नये अपडेट का जो दिखायी देता है उससे भी बड़ा निहितार्थ है। इससे पहले अनुमान केवल छह महीने पहले उद्धृत किया गया था जब भारत 14 नवंबर, 2022 को मधुमेह दिवस मना रहा था, कि भारत में मधुमेह के करीब 800 लाख लोग थे। अब नये अनुमान में यह 2021 में 1013 लाख मधुमेह के रोगियों की संख्या बतायी गयी है, जबकि 1360 लाख प्री–डायबिटिक स्टेज में थे। यह कहा गया था कि दुनिया के सभी मधुमेह रोगियों में से 17 प्रतिशत भारत में रह रहे थे, और 2045 तक यह संख्या बढ़कर 1350 लाख हो जाने की उम्मीद थी। नये आंकड़े भयावह है क्योंकि अभी 2019 में ही केवल 700 लाख मरीज थे जो बढ़कर 1013 लाख हो गये हैं।

स्वाभाविक तौर पर गैर–संचारी रोगों (एनसीडी) का वास्तविक बोझ पहले के अनुमान से कहींअधिक है, और देश में उभरती आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नयी योजना और निवेश की आवश्यकता में तेजी से वृद्धि हो सकती है। चूंकि, वर्तमान अनुमान मोटापे, उच्च रक्तचाप और हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया के प्रसार के विश्लेषण पर आधारित है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति है, भारत को एनसीडी के नियंत्रण और रोकथाम पर संपूर्ण योजना पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

यूके मेडिकल जर्नल 'लैंसेट' में प्रकाशित नये आईसीएमआर–आईएनडीएबी अध्ययन ने देश भर में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2008 और 2020 के बीच की अवधि का आकलन किया है। अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में मधुमेह का प्रसार अधिक पाया गया जो क्रमशः 16.4 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत था। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों की कीमत पर शहरी क्षेत्रों पर अधिक जोर देने के लिए मधुमेह प्रबंधन के योजनाकारों को गुमराह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक और तथ्य को छुपाता है कि कुल शहरी आबादी और उनमें पूर्व–मधुमेह रोगियों की व्यापकता 15.4 प्रतिशत थी जो ग्रामीण भारत में केवल 15.2 प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक है। इन सभी का मतलब है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र निकट भविष्य में मधुमेह के नये मामलों के विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं यदि लोग अपनी जीवन शैली में सुधार नहीं करते हैं, जिससे देश में चिकित्सा सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है। मधुमेह रोगियों के प्रतिशत के मामले में देश के दस सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य हैं गोवा (26.4), पुडुचेरी (26.3), केरल (25.5), चंडीगढ़ (20.4), दिल्ली (17.8), तमिलनाडु (14.4), पश्चिम बंगाल (13.7) सिक्किम (12.8), पंजाब (12.7) और हरियाणा (12.2) हैं। गोवा में प्री–डायबिटिक स्टेज के लोग 20.3 फीसदी, पुडुचेरी 25.8 फीसदी, केरल 18.3 फीसदी, चंडीगढ़ 15.6 फीसदी, दिल्ली 18 फीसदी, तमिलनाडु 10.2 फीसदी, पश्चिम बंगाल 23.5 फीसदी, सिक्किम 31.3 फीसदी, पंजाब 8.7 फीसदी और हरियाणा में 18.2 फीसदी हैं। यह केवल देश में मधुमेह की महामारी के और बिगड़ने से पहले तैयारी के बड़े कार्य को दर्शाता है। इन सबसे खराब राज्यों में मधुमेह और पूर्व मधुमेह रोगियों का बोझ पंजाब में 21.4 प्रतिशत से लेकर पुडुचेरी में 52.1 प्रतिशत के बीच है। यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र में मधुमेह और पूर्व–मधुमेह के रोगी लगभग बराबर हैं, तो स्थिति को स्थिर माना जाता है, जैसा कि हम पुडुचेरी और दिल्ली में देखते रहे हैं, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि तेजी से बदलती जीवन शैली में परिवर्तन की दिशा ऐसी है कि बीमारी में और अधिक तेजी आ सकती है। मधुमेह के प्रति संवेदनशील परिदृश्य बदल सकता है। और तो और, यह अभी भी उच्च स्तर पर है जिसके कारण दवाओं की खरीद सामर्थ्य शक्ति तथा उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।

देश के कई राज्यों में मधुमेह रोगियों की संख्या खतरनाक स्तर पर नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। फिर भी, देश आसन्न मधुमेह महामारी के लिए तैयारियों के मामले में नजरअंदाज करने वाला सामान्य दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में केवल 4.8 प्रतिशत मधुमेह रोगी हैं। हालांकि, प्री–डायबिटीजस्टेज के लोगों की संख्या 18 फीसदी तक है। यह इंगित करता है कि मधुमेह के कम प्रसार वाले ऐसे राज्य अगले कुछ वर्षों में तेजी से मधुमेह के मामलों के विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी चेतावनी अध्ययन में भी दी गयी है।

अन्य गंभीर कारक भी हैं, जो कि अध्ययन से पता चला है। उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे के बढ़ते स्तर, जो वर्तमान में पहले से ही उच्च हैं, ने कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, किडनी रोग और कई अन्य जोखिमों को बहुत बढ़ा दिया है। 35.5 फीसदी लोगों में हाइपरटेंशन और 81.2 फीसदी लोगों में कोलेस्ट्रॉल पाया गया। करीब 28.6 फीसदी लोग सामान्य मोटापा तथा जबकि 39.5 प्रतिशत असामान्य मोटापे से पीड़ित हैं। इसके अलावा मधुमेह और संबंधित चिकित्सा स्थितियों में 2020 में 7 लाख से अधिक मौतों पर भी ध्यान रखकर योजनाएं बनानी जानी चाहिए। (संवाद)

मुख्यमंत्री पद के लिए खुलेआम हुई शिंदे–फडणवीस लड़ाई

सुशील कुट्टी

शिवसेना के एक विज्ञापन का दावा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के लिए महाराष्ट्र के लोगों की पहली पसंद हैं और देवेंद्र फडणवीस तस्वीर में कहीं नहीं हैं। जिन विज्ञापनों में मोदी की तस्वीर नहीं भूली, उन पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखा। क्या यह शिंदे और फडणवीस के बीच 'उग्र झगड़े' का संकेत है? क्या ऐसा हो सकता है कि शिंदे विद्रोह के लिए पूरी तरह तैयार हैं, एक तरह के 'घरवापसी' के लिए, हालांकि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिंदे सेना को अब 'मोदी–शाह शिवसेना' कहकर इस संभावना को खारिज कर दिया।

फिर राउत शुद्ध जहर हो सकते हैं! उन्होंने कहा कि शिंदे–भाजपा की चमक फीकी पड़ती दिख रही है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही शिंदे पोल पोजीशन के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। जादू टूट गया है। कुछ लोग इसे 'भयंकर लड़ाई' बता रहे हैं। लेकिन झगड़े पीढ़ियों तक चलते हैं। शिंदे–फडणवीस आपस में झगड़े को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने वाले लोगों में नहीं हो सकते। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच संभावित झगड़े से इंकार नहीं किया जा सकता है। ये दोनों शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की विरासत पर दावा करते हैं। शिंदे के विज्ञापन में शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर नहीं है और कहा गया है कि शिवसेना (यूबीटी) इस बात का सुबूत है कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने बालासाहेब ठाकरे की विरासत पर दावा करने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है।

तथाकथित शिंदे–फड़णवीस झगड़े पर वापस आते हैं। एकनाथ शिंदे 22 जून, 2022 से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस उनके डिप्टी हैं। शिंदे के लिए यह प्रमोशन था–फडणवीस के लिए, डिमोशन! टकराव की उम्मीद थी। शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर संभावित टकराव के लिए मंच तैयार कर दिया गया था। अब ऐसा लगता है कि समय आ गया है। लोग पूरे पृष्ठ के विज्ञापनों में इसका प्रमाण देखते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बड़े हैं और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था और आकलन बना रहना चाहिए।

शिंदे और फडणवीस दोनों पोल पोजीशन के लिए जुगलबंदी कर रहे हैं। तथ्य यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास अपने कार्यकाल के दौरान दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है, पर फडणवीस के पास था। शिंदे को मोदी के करीब देखकर देवेंद्र फडणवीस कांप रहे होंगे! कोई आश्चर्य नहीं कि संजय राउत ने आश्चर्य जताया कि क्या शिवसेना है या शिंदे शिवसेना का भाजपा में विलय हो गया है? शिंदे शिवसेना का पूरे पृष्ठ का विज्ञापन 'भारत के लिए मोदी, महाराष्ट्र के लिए शिंदे' एक सर्वेक्षण पर आधारित है जो शिंदे को राज्य के शीर्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त घोषित करता है।

लोगों ने प्रतिक्रिया दी और शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत पहले डेढ़ मील दूर थे। उन्होंने शिंदे शिवसेना को 'मोदी–शाह शिवसेना' का उपनाम दिया। अब सवाल यह है कि क्या शिवसेना (यूबीटी) को शिंदे और फडणवीस से 'ईर्ष्या' है जो 'भाइयों की तरह काम कर रहे हैं? शिवसेना का धनुष–बाण चुनाव चिह्न शिंदे सेना के हाथ में है। यह एक कारण हो सकता है कि संजय राउत क्यों 'ईर्ष्या' करें। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, जिसका शिवसेना (यूबीटी) एक घटक है, का कहना है कि भाजपा 'मोदी–शाह शिवसेना' को हर विधानसभा और लोकसभा सीट के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर देगी, चाहे जिस किसी भी सीट पर वह दावा करेगी।

देवेंद्र फडणवीस के ऊपर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को प्रोप करने के लिए सर्वेक्षण कहता है, 'महाराष्ट्र में 26.1 प्रतिशत लोग एकनाथ शिंदे को जबकि 23.2 प्रतिशत लोग देवेंद्र फडणवीस को अगले मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं। 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे फडणवीस अब, उन्हें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के लिए कहीं बेहतर आंकड़े वाले नेता हैं और महाराष्ट्र के लगभग 50 प्रतिशत नागरिक चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी–शिवसेना का गठबंधन सीएम शिंदे के साथ बना रहे!

एक प्रमुख टेलीविजन चैनल द्वारा किये गये सर्वेक्षण में विश्वसनीयता की कमी है क्योंकि इसने कर्नाटक में भाजपा की भारी जीत की भविष्यवाणी की थी और अभी 13 जून को ही कहा था कि भाजपा मध्य प्रदेश को जीत लेगी! चैनल के महाराष्ट्र चुनाव सर्वेक्षण में कहा गया है कि 30.2 प्रतिशत महाराष्ट्र के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी को और 16.2 प्रतिशत ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को पसंद किया, यानी 46.4 प्रतिशत लोगों ने भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गठबंधन को समर्थन दिया। इसमें त्रुटि की संभावना तीन प्रतिशत कम या अधिक बतायी गयी।

सुनने में यह सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पूरे पेज के विज्ञापनों ने फडणवीस की खुशी पर पानी फेर दिया, जबकि भाजपा ने उन्हें कम महत्व दिया। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले परेशान हैं। वह कहते हैं, 'यह हमेशा चुनाव परिणाम होता है जो यह तय करता है कि मतदाताओं के लिए कौन सी पार्टी या नेता अधिक स्वीकार्य है।' बस इसलिए कि कोई संदेह न रह जाये, उन्होंने कहा कि इस बात पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि दोनों में से कौन–सी शिवसेना और भाजपा के बीच बड़ी है! (संवाद)

उप्र किसान सभा का 25वां राज्य सम्मेलन

मोदी सरकार किसान, मजदूर विरोधी और कारपोरेट समर्थक

गाजीपुरः उत्तर प्रदेश किसान सभा संबंध अखिल भारतीय किसान सभा का 25वां राज्य सम्मेलन 8–10 जून 2023 को गाजीपुर जिला मुख्यालय स्थित लंका मैदान में किसान नेता पूर्व विधायक जयराम सिंह नगर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में पहले दिन एक विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया गया ।सम्मेलन एवं किसान पंचायत की अध्यक्षता पांच सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने की जिसमें उत्तर प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष इम्तियाज बेग, उपाध्यक्ष छीतर सिंह, राम कुमार भारती, राधेश्याम यादव, अजय सिंह शमिल थे। सम्मेलन का उद्घाटन अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार अनजान ने किया।

सम्मेलन के मुख्य अतिथि अखिल भारती किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार अनजान ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि जिस धरती पर आज सम्मेलन हो रहा है यह धरती भारत वर्ष में संगठित किसान आन्दोलन के जनक स्वामी सहजानन्द सरस्वती की जन्मस्थली है। उन्होंने कहा कि यह धरती वामपक्ष के अग्रणीय नेता महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व सांसद स्व. कामरेड सरजू पाण्डेय, पूर्व विधायक स्वतंत्रता सेनानी स्व. कामरेड बब्बर राम, पूर्व विधायक स्व. कामरेड श्यामसुन्दर शास्त्री, पूर्व भाकपा सांसद स्व. कामरेड विश्वनाथ शास्त्री, पूर्व भाकपा विधायक और उप्र किसान सभा के वर्षो बरस नेता रहे स्व. कामरेड जयराम सिंह जी की धरती है। इस ऐतिहासिक धरती पर किसानों और मजदूरों के बहुत बड़े–बड़े संघर्ष चले आज भी हमारे साथी उप्र किसान सभा के महामंत्री पूर्व विधायक राजेन्द्र यादव के नेतृत्व में किसानों को जागरूक कर उनके अधिकारों की लड़ाई इस कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार लड़ रहे है। जो बधाई के पात्र हैं।

सम्मेलन के पहले दिन एक विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया जिसमें विभिन्न राजनैतिक दलों, किसान संगठनों समाजसेवियों को भी आमंत्रित किया गया। जिसमें भाकपा उप्र राज्य सचिव अरविन्द राज स्वरूप, उप्र खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश महामंत्री फुलचन्द यादव, उप्र के पूर्व कैबिनेट ओमप्रकाश सिंह विधायक सपा, विरेन्द्र कुमार यादव विधायक, जंगीपुर सदर सीट से वर्तमान सपा विधायक जयकिशन साहू, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जनार्दन राय, सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव, किसान महासभा के ईश्वरी कुशवाहा, चन्दा यादव पूर्व ब्लाक प्रमुख, सांसद अफताल अंसारी के प्रतिनिधि बलिराम पटेल बसपा नें अपने विचार व्यक्त किये। अध्यक्षता धर्मदेव यादव पूर्व ब्लाक प्रमुख मनिहारी, रामकुमार भारती, इम्तेयाज बेग और संचालन जर्नादन राम ने किया।

किसान सभा महासचिव अतुल अनजान ने अपने उद्बोधन में कहा कि उप्र एक विशाल भूभाग पर फैला हुआ प्रदेश है। यहां एक करोड सतहत्तर लाख से अधिक परिवार कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। देश और प्रदेश में कृषि संकट खतरनाक हदे पार कर चुका है। देश एवं प्रदेश की सरकारें उनके सलाहकार भी मान चुके हैं। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी किसानों के जीवन में अब तक कोई खुशहाली नहीं आ सकी। इसके उलट केन्द्र में बैठी मोदी सरकार ने तीन काले कृषि कानून लाकर किसानों के हाथ से खेती छिनकर कारपोरेट घरानों को सौंपने की साजिश रची थी। जिसे देश के किसानों नें इस कानूनों को वापस करानें हेतु दिल्ली के बार्डरों पर 13 माह से उपर लगातार जाड़ा गर्मी बरसात खुले आसमान में संघर्ष कर और आन्दोलन के दौरान 750 किसानों नें अपनी शहादत देकर वर्तमान निरंकुश और हठधर्मी सरकार को कानून वापस लेने पर विवश कर दिया। यह आन्दोलन देश ही नही दुनिया का एक अजुबा आन्दोलन था। वर्तमान राजनीतिक हालात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2024 का चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव होगा। आज देश में अघोषित इमरजेन्सी जैसा माहौल बन गया है। आज की वर्तमान सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर विरोधी और कारपोरेट समर्थक सरकार है। देश में मंहगाई, बेरोजगारी, अपनी चरम सीमा पर है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के विपक्षी दलों को एक मंच पर आकर इस सरकार के विरूद्ध मोर्चा खोलना चाहिए। मोदी के 9 वर्षो के शासन में भारतीय रूपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर चुका है। धड़ल्ले से सार्वजनिक उपक्रम जिनका निर्माण, जनता के टैक्स के पैसों से निर्मित हैं। जिनमें रेल, एयर इण्डिया, कोल, तेल कम्पनियां, सरकारी कल कारखानें, धड़ल्ले से देशी और विदेशी पूंजीपतियों के हाथ बेचे जा रहे हैं। जहां से लोगों को बड़े पैमानें पर रोजी और रोजगार और नौकरियां मिलती थी। यहां तक कि रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र को भी निजी हाथों में देने की तैयारी चल रही है।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि अगले सत्र तक प्रदेश में 2 लाख सदस्यता, करना 500 से अधिक नयी ग्राम कमेटियां बनवाना पूरे प्रदेश स्तर पर 90 दिन की किसान जनजागरण यात्रा निकालने, यात्रा के प्रमुख बिन्दू होंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र लागू करानें, 60 साल आयु के सभी महिला पुरूष किसानों खेत मजदूर, ग्रामीण दस्तकारों को 10 हजार मासिक पेंशन, सामाजिक सुरक्षा गारन्टी के तहत केन्द्र और राज्य सरकार से दिलाने एमएसपी की कानूनी गारन्टी देने, दिल्ली के बार्डरों पर चले 13 मार्च किसान आन्दोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को समुचित मुआवजा देने तथा आन्दोलन के दौरान देशभर में किसान नेताओं कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस करने के सरकार के वादे के अनुसार वापस लेने जैसे उपरोक्त 5 सूत्रीय मांगें यात्रा के मुख्य बिन्दू होंगे।

अन्त में 75 सदस्यीय राज्य परिषद का गठन किया गया साथ ही 13 सदस्यीय मंत्री परिषद जिसमें इम्तेयाज बेग को प्रदेश अध्यक्ष, राजेन्द्र यादव पूर्व विधायक को प्रदेश महामंत्री, रामकुमार भारती को वरिष्ठ राज्य सचिव, छितर सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेन्द्र मिश्रा, अजय सिंह, रामबरन सिंह, अशोक तिवारी को प्रदेश मंत्री चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर राधेश्याम यादव, सुबाष पटेल, ओमप्रकाश प्रधान, जनार्दन राम, तथा कोषाध्यक्ष जयशंकर सिंह को चुना गया।

अन्त में मुख्य आयोजक पूर्व विधायक राजेन्द्र यादव द्वारा आयोजन समिति के सदस्यों को सम्मानित किया गया। जिनमें घूरा यादव, अशोक मिश्रा, जनार्दन राम, सुरेन्द्र राम, संजय राम, जयनाथ यादव, तहसीलदार यादव, देवेन्द्र यादव, भृगुनाथ राम, सूर्यनाथ कन्नौजिया प्रधान प्रेम नारायण पाण्डेय, रामकेर यादव, रविन्द्र कुशवाहा, तहसीलदार सिंह, विक्रमा यादव, जगरनाथ पाण्डेय, राधिका यादव, रामशुक्ला राम, डॉ. रामबदन सिंह, मोहन राम, शिवशंकर गोड़, राजू सिंह, नरसिंह यादव, विनोद राय, सुभाष पाण्डेय, बब्लू मिश्रा, अजय मिश्रा आदि लोग शामिल रहे।

वाम जनतांत्रिक मोर्चा सरकार प्रगति और सामाजिक सुरक्षा की ओर अग्रसर

आर. अजयन

केरल में जनता के मजबूत समर्थन से निर्वाचित वर्तमान वाम जनतांत्रिक मोर्चा सरकार ने 2 मई 2023 को दूसरी वर्षगांठ मनाई। इस वाम सरकार को केरल में समर्थन मिलने का कारण 2016 में एलडीएफ की सरकार के आने के बाद चुनावी वादों को निभाना है। चुनावी घोषणा पत्र में हर साल चुनावी वादों को पूरा के संबंध में किए गए कामों से जनता को अवगत कराने के लिए सलाना रिपोर्ट पेश करने का वचन भी दिया गया था। सरकार द्वारा किए गए कामों के प्रगति कार्ड को जनता के समक्ष लाने ने प्रशासनिक मशीनरी को प्रेरित किया एलडीएफ सरकार द्वारा परिकल्पित योजनाओं का पूरी तरह पालन और वादों को पूरा करने के लिए। जन ऑडिट के प्रति खुलेपन से पहली एलडीएफ सरकार (2016–2021) की ओर जनता का अनुमोदन बढ़ा। इसने शुरू में दूसरी एलडीएफ सरकार के आगमन को आसान बनाया। 2016–21की अवधि के दौरान केरल ने, राज्य के सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों पर महामारी के जोखिमों और अघातों के बावजूद, उल्लेखनीय वृद्धि और विकास देखा। केरल पर कई प्राकृतिक आपदाओं और दुःखद घटनाओं की मार पड़ी थी। केरल की जनता के सामने चुनौतीपूर्ण परिस्थिति थी। प्रेदश की जनता और नेताओं ने 2016 से बढ़ती चुनौतियों के सामने मजबूती और उनसे उभरने में उल्लेखनीय मजबूती दिखाई है। एलडीएफ सरकार जो कि विकास और कल्याण के लिए जिम्मेदारी थी वह कठिनाइयों के बावजूद अस्तित्व के लिए लड़ाई से पीछे नहीं हटी। सरकार की कोविड महामारी और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी और कार्यवाही को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली। इनके जन अनुमोदन ने एलडीएफ सरकार की लोकप्रियता को हाल के चुनावों तक बनाए रखा। संकट के दौरान भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा बरसाए गई राजनीतिक बमबारी को सरकार ने सफलतापूर्वक विफल किया। केरल सरकार ने भीषण समस्याओं का सामना करते हुए अनवरत प्रगति की है। गैर–भाजपा सरकारें वित्तीय दबाव में है जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं को सहयोगी संघवाद को लागू करने का वास्तविक हकदार कहते हैं। भाकपा के पूर्व महासचिव ने 1957 में राष्ट्रीय अखंडता बैठक के दौरान भारत के संघीय वित्तीय रूपरेखा को खत्म करने का आह्वान किया। संवैधानिक वित्तीय पैनल की प्रत्येक प्रस्तुति में भाकपा और अन्य समाजवादी पार्टियों ने इस मांग को आगे बढ़ाया चूंकि न तो वर्तमान भाजपा प्रशासन और न ही पहले से केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने केरल के मामले के साथ ठीक से व्यवहार किया। 10वीं वित्तीय आयोग में सुनिश्चित आवंटन में पाया गया कि केरल को कुल आवंटन का 3.875 प्रतिशत मिलेगा। तिसपर भी, 15वें वित्तीय आयोग में इस प्रतिशत को घटाकर 1.925 प्रतिशत कर दिया गया। इन बदलावों के कारण केरल को सलाना आय के लिए दसियों अरब रुपये का नुकसान हुआ।

15वें वित्तीय आयोग के दौरान राज्य अंशापन मानकों में बदलाव के कारण केरल के लिए कुल टैक्स की पावती में घाटे ने अनुदान को रोक दिया। राज्य लगभग 6700 करोड़ रुपये के अभाव में है क्योंकि केंद्रीय सरकार ने इस श्रेणी के मद को समाप्त कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार, राज्यों के कर्ज अंतर को कम करने के लिए केंद्रीय सरकार राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए बाध्य है। लेकिन इस अनुदान के न दिए जाने के कारण राज्य को 6,700 करोड़ रुपये के नुकसान को उठाना पड़ रहा है। इस साल 7,000 करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजे के समाप्त कर दिए जाने के कारण निकल जाएंगे। राज्य की बाजार से ऋण लेने की क्षमता में कटौती के कारण संशोधन लामबंदी में लगभग 4,000 करोड़ रुपये की कमी है।

इन चुनौतियों के बावजूद 2021–22 में स्थिर मूल्यों में केरल के सकल घरेलू उत्पाद में 12.1 प्रतिशत की बढ़त हुई है। कृषि संबंधित क्षेत्र में 2021–22 में आर्थिक विकास 6.7 प्रतिशत पर पहुंच गया। पिछले साल, उद्योग आधारित क्षेत्र ने 17.3 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर देखी है। राज्य की अर्थव्यवस्था में समृद्धि एलडीएफ सरकार की राजस्व पैदा करने वाली रणनीतियों की सफलता का सबूत हैं। जब अमृर्त्य सेन और डॉ. के.एन. राज ने 1970 में केरल विकास मॉडल को तैयार किया था इसकी एक विशिष्टता यह थी कि हमारे राज्य ने एक अति उच्च मानव संसाधन विकास को अल्प प्रतिव्यक्ति आय के बावजूद हासिल किया है। जन्मदर, शिशु मृत्युदर सूचकांकों और दीर्घकालिक विकास सूचकांकों में केरल की स्थिति दूसरे विकसित देशों और भारतीय राज्यों के मुकाबले बेहतर है। इस विशिष्टता को पाने की केरल की क्षमता पुनर्जागरण परंपरा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेपों के कारण बनी है। केरल जिस विरोधाभास या संकट का एक लंबे समय से सामना कर रहा है कि इन सब उपलब्धियों के बावजूद उत्पादन क्षेत्र से घरेलू आय में कोई बढ़त नहीं हुई है। घरेलू उत्पादन क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए लक्षित सुधार इस दौरान सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निवेश केरल विकास मॉडल को और अधिक क्रियाशील कर सकता है। केरल ने अपने आर्थिक विकास के लिए एक निश्चित रास्ते को चुना है, जबकि केंद्रीय सरकार ने वैश्विकरण को चुना है। निजीकरण का एक तत्व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ठिकाने लगाना है। जैसे कि केंद्रीय सरकार ने नियंत्रित उद्योगों और राज्य हवाई अड्डों को अडानी, अम्बानी को मामूली राशि में दिया है। जबकि केरल सरकार ने वेल्लूर न्यूज प्रिंट फैक्टरी पर अपना नियंत्रण किया और उत्पादन शुरू किया। राज्य सरकार ने तिरुवंनतपुरम के हवाई अड्डे को भी लेने की कोशिश की लेकिन अडानी–मोदी की मिलीभगत के कारण असफल हुए। यह सब बताता है कि केंद्रीय सरकार की पश्चगामी आर्थिक नीतियों से केरल अलग है। जबकि भाजपा नीत केंद्रीय सरकार की असफल नीतियों और कार्यवाहियों के कारण मूल्य वृद्धि और मंदी पैदा हुई है, वहीं वाम नीत केरल सरकार इसके प्रभावों को अति चौकस उपायों से पीछे धकेल रही है, जिसे किसी अन्य राज्य सरकार ने करने की हिम्मत नहीं की। जहां केंद्रीय सरकार आम जनता के सामने राज्य सरकार को नीचा दिखाने वाली नीतियों को चला रही है वहीं केरल भारत का सबसे कम मूल्य वृद्धि वाला राज्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य परिषद की बैठक संपन्न

जगदलपुरः राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्यों डॉ. नारायणा और रामकृष्ण पांडा की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य परिषद की बैठक 6 और 7 जून को जगदलपुर में संपन्न हुई।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य परिषद की बैठक 6 और 7 जून 2023 को जगदलपुर में संपन्न हुई बैठक को संपन्न कराने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य डॉ. के नारायणा और राम कृष्णा पांडा के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के सभी सक्रिय जिला परिषद के सदस्य साथी उपस्थित रहे और सचिव मंडल की बैठक भी की गयी। बैठक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संभागीय कार्यालय जगदलपुर में हुई, बैठक में पार्टी की सदस्यता नवीनीकरण वर्ष 2023 की जिलेवार रिपोर्ट की समीक्षा की गई और आगामी चुनाव छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के लिए उपस्थित साथियों की जिलेवार चुनावी स्थिति को और सांगठनिक स्थिति का आकलन किया गया। बैठक में पार्टी संगठन के विभागों का गठन किया गया संगठन विभाग ट्रेड यूनियन विभाग,नौजवान सभा विभाग, छात्र सभा विभाग, महिला फेडरेशन विभाग, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा विभाग, सांस्कृतिक विभाग, शिक्षा विभाग व जन सेवादल का गठन कर इनके इंचार्ज व कन्वीनर चुने गए। बैठक में राष्ट्रीय और राज्य की राजनीतिक घटनाक्रमो और परिस्थितियों पर गंभीरता से चर्चा की गयी। बैठक के दौरान राज्य सचिव मनीष कुंजाम ने बताया कि छत्तीसगढ में भाजपा–आरएसएस के साथ साथ राज्य की कांग्रेस सरकार भी 'साफ्ट हिंदुत्व नही हार्ड हिंदुत्व' के रास्ते पर चल रही है। जैसे राज्य भर मे कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल रामायण पाठ करा रहे हैं। राम गमन पथ का विकास कर कौशल्या पुत्र राम को अपना छत्तीसगढ का 'भॉचा' (भांजा) बता कर भाजपा–आरएसएस के हिंदुत्व से ज्यादा धार्मिक उन्माद फैलाने मे कांग्रेस संलिप्त है ,जो खतरनाक है।

राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य डॉ. के नारायणा ने बताया कि छत्तीसगढ में हमारी पार्टी बस्तर अंचल मे मजबूत है। यहां कांग्रेस भी मजबूत है, पहले कांग्रेस सबको साथ लेकर चलना चाहती थी पर अब उनकी सोच संकुचित हो गई है। पिछली बार राज्य में भाजपा की सरकार थी, तो कांग्रेस हमसे कुछ बात करना चाहती थी परन्तु कांग्रेस आज सत्ता में है और वह सभी सीटों पर चुनाव लडना चाहेगी। हमे अपने राज्य के राजनीतिक परिस्थिति के अनुरूप फैसले लेने चाहिए। आप सब जानते हैं कि भाजपा ने आदिवासी कार्ड खेलते हुए आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया पर इनकी पोल खुल गई है। नये संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नही बुलाना। राष्ट्रपति के विधवा व आदिवासी होने के कारण भाजपा–आरएसएस की ब्राम्हणवादी सोच उन्हें अशुभ मानती है। दूसरी तरफ सरकार कारपोरेट घरानों से दोस्ताना संबंध बनाकर देश की जंगल जमीन को उन्हें दे देना देना चाहती है। वो सब दल जो भाजपा–आरएसएस को हराना चाहते हैं, उनके साथ कांग्रेस को दोस्ताना व्यवहार बनाकर देश को राजनीतिक विकल्प देना चाहिए।

रामकृष्ण पांडा जी ने चुनाव के संबंध में कहा कि चुनाव मे जनता के बीच पर्चा व चर्चा जरूरी है। हमारी पार्टी का स्लोगन है कि 'नोट दो और वोट दो' वहीं पूंजीवादी पार्टी का नारा है नोट लो और वोट दो। देश की सरकार विभाजनकारी कार्यो मे लगी है। छत्तीसगढ में हम भाजपा की सरकार नही लाना चाहते हैं। ऐसे शासन के लिए प्रयास करेंगे जो छत्तीसगढ की जनता के हित मे काम करे ऐसे दलों को साथ लेकर अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लडेंगे। भाकपा अपने चुनाव चिन्ह पर 30 से अधिक सीटों पर चुनाव लडने के लिए सीटों को चिह्नित किया है और बस्तर की कुछ सीट जीतने के लिए लडेंगे।

मार्गदर्शन हेतु उपस्थित उपरोक्त साथियों ने स्थानीय पत्रकारों से पत्रकार वार्ता की। छत्तीसगढ राज्य सचिव मनीष कुंजाम ने राज्य की राजनीतिक परिस्थिति पर गंभीरता से चर्चा कर छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा चुनावों में 30 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति सर्वसम्मति से बनी। बस्तर संभाग के सभी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी का सभी साथियों ने समर्थन किया। इस बैठक में राज्य में स्थानीय संगठन व क्षेत्रीय राजनीतिक दल और वामपंथी पार्टियों से गठबंधन कर आगामी चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई। उपस्थित साथियों ने बैठक के अन्य सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए। बैठक के पहले दिन 06 जून को पार्टी और जनसंगठन का विस्तार एवं पार्टी सदस्यता नवीनीकरण 2023 को अंतिम रूप दिया गया। इस वर्ष की कुल सदस्यता 7406 (सात हजार चार सौ छह रू.) हुआ। और जिलेवार जिला सचिव की रिपोर्ट पर चर्चा और सुझाव लिए गए। बैठक के दूसरे दिन 07 जून को छत्तीसगढ राज्य की अगामी विधानसभा चुनाव विषय पर जिलेवार सांगठनिक व चुनाव संबंधित विस्तृत चर्चा कर उपरोक्त निर्णय लिए गए और राज्य परिषद के लिए आमंत्रित सदस्य शंकर राव, राजेश संधू व पी लक्ष्मीनारायण को लिया गया।

बैठक में राज्य सचिव मनीष कुंजाम, सह सचिव सत्यनारायण कमलेश, सचिवमंडल सदस्य रामा सोडी, हरिनाथ सिंह, अनिल यादव, रामूराम मौर्य, राष्ट्रीय परिषद सदस्य मंजू कवासी, राज्य कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन तिलक पाण्डेय व परिषद के सदस्य वरिष्ठ पवन शर्मा, डॉ. सोम गोस्वामी, मंगल सिंह कश्यप, के साजी, कमलेश झाडी, शैलेश शुक्ला, पवन कुमार वर्मा, लखन सिंह, निसार अली, अराधना मरकाम, जी आर नेगी, हडमा राम मरकाम, पी लक्ष्मीनारायण, महेश कुंजाम, भीमसेन मंडावी, देवा मंडावी, लीना ओयामी और सम्मानीय सहयोगी साथियों की गरिमापूर्ण उपस्थित रही।

डार्विन की जरूरत है हम सबको

विकास के सिद्धांत को स्कूली पाठ्य–पुस्तकों से हटाना वैज्ञानिक मनोभाव के विरूद्ध

डॉ. शाह आलम खान

राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद ने मिडिल और हाई स्कूल क्लासों की पाठ्य–पुस्तकों से ऐसे कुछ अध्याय हटा दिये हैं। जिन्हें हाल तक बच्चों में वैज्ञानिक मनोभाव विकसित करने के लिए आवश्यक समझा जाता था। नौवीं और दसवीं कक्षा की विज्ञान की पाठ्य–पुस्तकों से जिन अध्यायों को हटाया गया है उनमें से सबसे अधिक उल्लेखनीय अध्याय क्रम विकास और तत्वों की पीरियोडिक टेबिल के संबंध में हैं। राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद ने इन अध्यायों को हटाए जाने को पाठ्यक्रम के ''तार्किकीकरण'' का नाम दिया है जिसे कोविड महामारी ने जरूरी बनाया।

नवंबर 1859 में जब डार्विन की पुस्तक ''ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज'' का प्रकाशन हुआ तब से ही क्रम विकास के डार्विन के सिद्धांत का आस्था–आधारित विरोध होता रहा है। अनेक धर्मो और धार्मिक समाजों द्वारा हमेशा यह एक अत्यंत अच्छी तरह से और संरक्षित दंत कथाओं में एक रही है कि भगवान द्वारा मानव का सृजन किया गया है। सऊदी अरब, मोरक्को, अल्जीरिया और ओमान में स्कूलों और विश्वविद्यालयों में क्रम विकास का सिद्धांत नहीं पढ़ाया जाता। विश्व और ट्यूनीशिया क्रम विकास पढ़ाया जाता है परंतु इसे एक ऐसी ''अवधारणा'' के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है जो ''साबित नहीं हुई है''। बहुत समय नहीं गुजरा जब अमेरिका के कुछ राज्यों में क्रम विकास के सिद्धांत को पढ़ाने पर प्रतिबंध था या उसे ''सृजनवाद'' (क्रिएशनिज्म) के साथ–साथ पढ़ाया जाता है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए तब कहीं जाकर क्रम विकास के सिद्धांत को पढ़ाने पर प्रतिबंध खत्म हुआ। लुइसियाना, फ्लोरिडा, कोलोराडो और टेनेस्सी राज्य एक कानून पास करना चाहते थे कि शिक्षकों को क्रम विकास के सिद्धांत को न पढ़ाने का विकल्प दे दिया जाए। इस प्रकार नजर आता है कि डार्विन के विरोधियों के बीच दकियानूसीपन और रूढ़िवादिता की एक जैसी सोच है।

इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि भारत में स्कूल स्तर पर क्रम विकास के सिद्धांत को पढ़ाने की जरूरत क्यों है? भारत जैसे देश में, जो संस्थागत जाति के बोझ और असमानता के अन्य किस्मों से ग्रस्त है शुरूआती चरणों में क्रम विकास के सिद्धांत को पढ़ाने से विवेचनात्मक मस्तिष्क को आकार देने और संस्थागत भेदभाव के खिलाफ तर्को को धार देने में मदद मिलती है। जब कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक ''पूंजी खंड 1''को डार्विन को भेंट किया तो उस वैज्ञानिक ने उन्हें वापस लिखा: ''यद्यपि हमारे अध्ययन इतने अलग रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम दोनों की हार्दिक तौर पर ज्ञान के विस्तार की आकांक्षा है और यह चीज आगे चलकर निश्चित तौर पर मानवमात्र की खुशियों में योगदान करेगी''। धार्मिक ग्रंथों की कहानियों से बाहर निकल कर मानव के विकास को पढ़ना और समझना सचमुच ही एक खुशी की बात है।

राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद कहता है कि कोविड के बाद ''तार्किकीकरण'' में केवल पुनरावृत्तियों को हटाया गया है। क्रम विकास संबंधी अध्यायों को, सच ही, कक्षा 11 एवं 12 के पाठ्यक्रम में बरकरार रखा गया है। तो भी यह दृष्टिकोण दो कारणों से कुछ न कुछ अतार्किक है।

पहली बात तो यह है कि क्रम विकास का शिक्षण अब उन छात्रों के लिए सीमित रह जाएगा जो कक्षा 11 में विज्ञान का विषय लेंगे। शिक्षा, योजना एवं प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की 2016 की रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में सेंकेडरी स्कूल स्तर पर स्कूल ड्रॉपआउट की दर 15 से 27 के बीच है जिसमें लिंग, जाति और आर्थिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के 75वें दौर के आंकड़ों से भी पता चलता है कि आबादी का 74 प्रतिशत, 18 वर्ष और ऊपर, 12वीं कक्षा में पहुंचने से पहले स्कूल से ड्रॉपआउट हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद के तार्किकीकरण के कदम से अनेक युवा छात्र क्रम विकास को पढ़ने से वंचित रह सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि प्राइमरी या सेंकडरी स्कूल के बच्चों को क्रम विकास के शिक्षण का महत्व वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों को स्कूल में जिस सर्वांगीण वैज्ञानिक विकास की जानकारी से होकर गुजरना चाहिए, यह उसका एक हिस्सा है। बच्चा यदि क्रम विकास की बुनियादी बातों से परिचित होता है तो उसे सामाजिक–धार्मिक घिसी–पिटी बातों की दुनिया से परे जाकर जीवन की प्रक्रिया को समझने के लिए उसका नजरिया विस्तृत हो जाता है। उससे विचार पैदा होते हैं और तार्किक चिंतन में वृद्धि होती है। इससे उसमें यथास्थिति पर प्रश्नचिन्ह लगाने की योग्यता आती है। स्वयं अपने संबंध में और बहसों को प्रारंभ कर विज्ञान असुविधाजनक प्रश्नों को पूछकर समाज की मदद करता है। राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद को विज्ञान की इस अक्षय शक्ति पर जोर देना चाहिए था।

एक उपभोक्तावादी दुनिया में राष्ट्र अवधारणाओं के जरिये काम करते हैं। भारत को एक हिन्दू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हुए भी सरकार चाहती है कि वह बाकी दुनिया की नजर में अच्छी बनी रहे। इस लिहाज से भी स्कूल पाठ्य–पुस्तकों से क्रम विकास को हटाना एक गलत कदम है। (साभार: द इंडियन एक्सप्रेस, 14 जून 2023)

बीकेएमयू का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन दो नबम्बर से पटना में

पटना, 11 जून, 2023: बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन राज्य परिषद की बैठक रविवार को जनशक्ति भवन में हुई। जिसमें दो से पांच नवम्बर तक पटना में होने वाले भारतीय खेत मजदूर यूनियन के 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन पर विस्तार से चर्चा की गई और दो नवम्बर को पटना के गांधी मैदान में विशाल रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन के लिए एक स्वागत समिति भी गठित की गई। पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा स्वागत समिति के अध्यक्ष, विधायक सूर्यकांत पासवान कार्यकारी अध्यक्ष, जानकी पासवान महासचिव, पुनीत मुखिया उप महासचिव चुने गए जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय स्वागत समिति के मुख्य संरक्षक होंगे। बैठक की अध्यक्षता अनिल प्रसाद ने की। बैठक को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के महासचिव जानकी पासवान, उप महासचिव पुनीत मुखिया, अर्जुन रामाकांत अकेला, रामपुकार मुखिया आदि ने संबोधित किया।

बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले नौ वर्षो के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हमले खेत मजदूरों पर हुए हैं। महंगाई आसमान छू रही है। मजदूरों को रोजगार नहीं मिला रहा है। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में सबसे ज्यादा खेत मजदूर की ही मौत हुई है। केन्द्र सरकार सभी मृतक के आश्रितों को 25 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की गारंटी करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा की राशि में लगातार कटौती की जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को बंद करने की साजिश की जा रही है। महंगाई आसमान छू रही है। खेत मजदूरों को मनरेगा के तहत कार्य नहीं मिल रहा है। बिहार मनरेगा मजदूरों को वाजिब मजदूरी नहीं मिल रही है। मनरेगा की मजदूरी प्रत्येक दिन कम से कम 600 रुपये की जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि प्रत्येक महीने एक हजार रुपये किये जाए।

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के महासचिव जानकी पासवान ने कार्य रिपोर्ट पेश किया। उन्होंने 15 जून को प्रखंड कार्यालय पर महागठबंधन के द्वारा होने वाले धरना प्रदर्शन में खेत मजदूरों को बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बिहार में खेत मजदूर आंदोलन को तेज किया जाएगा। पांच लाख से अधिक सदस्य बनाये जाएंगे। दो नवंबर को पटना में ऐतिहासिक रैली होगी।

महंगाई पर काबू पाने में केंद्र सरकार विफल

पटना, 14 जून 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि अब तो देश की जनता भी कहने लगी है कि केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने में विफल साबित हो गयी। देश की प्रतिष्ठित संस्था सीएसडीएस और एक निजी टीवी चैनल ने एक सर्वे किया है। वह टीवी चैनल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पूंजीपति मित्र का है जिसके आंकड़े काफी चौकाने वाले हैं। भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि देश की जनता से महंगाई पर राय मांगी गई। सर्वे में 57 फीसदी लोगों ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई पर काबू पाने में विफल रही है। अच्छे दिनों पर लोगों से बातचीत की गई। 42 फीसदी लोगों ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं हुआ जबकि 22 फीसदी लोगों ने कहा उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। किसका विकास हुआ है, इस पर लोगों से राय ली गई। 36 फीसदी लोगों ने कहा कि सिर्फ अमीरों का विकास हुआ, जबकि 18 फीसदी लोगों ने कहा कि किसी का विकास नहीं हुआ है।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरफ विफल साबित हो गयी है। नौ वर्षो के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। महंगाई आसमान छू रही है। नौ वर्षो में घरेलू गैस की कीमत 450 रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़कर 1200 रुपये हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थो की कीमत में काफी कमी के बावजूद डीजल पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थो की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल है। उन्होंने कहा कि सरकार का बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं है। यही कारण है कि आम उपभोक्तावस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है। भाकपा राज्य सचिव ने केंद्र सरकार से महंगाई पर रोक लगाने और पेट्रोल डीजल की कीमत में कम से कम 25 रुपये प्रति लीटर कम करने की मांग की है।

संविधान की मूल रूपरेखा : सार्थकता और प्रभाव

अश्विनी बक्शी

2023 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 'केशवानंद भारती' प्रकरण में 13 न्यायाधीशों के संविधान पीठ के फैसले का स्वर्ण जयंती वर्ष है, इस प्रकरण ने संविधान के बुनियादी ढांचे/संस्वना के सिद्धांत को निर्धारित किया था। इस प्रकरण के 7–6 में विभाजित फैसले में कहा गया था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन वह संविधान की बुनियादी संरचना या बुनियादी सुविधाओं को नहीं बदल सकती। पिछले 50 वर्षों में इस फैसले पर व्यापक चर्चा हुई है और हाल ही में इस बहस में फिर से तेजी आई है। यहां तक कि भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ भी बुनियादी सुविधाओं के निर्णय और सिद्धांत की खुलकर आलोचना करने में आगे रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि नागरीय समाज और राजनीतिक वर्ग में, विशेष रूप से आपातकाल से पहले, इस फैसले के बारे में राय एक सी नहीं थी राय पर एकमत न होना ऐसा ही था जैसा कि इस प्रकरण पर न्याय पीठ का फैसला विभाजित था लेकिन इस पर इस तरह से पहले, सैद्धांतिक रूप से और उससे अधिक, व्यावहारिक रूप से सत्ता में बैठे लोगों द्वारा हमला नहीं किया गया था। यह भी एक तथ्य है कि जब फैसला आया था तो उसे उन वर्गों से भी आलोचना मिली जो खुद संविधान के मूल मूल्यों में विश्वास करते थे। आलोचकों का तर्क रहा है कि संसद को जनता की इच्छा का प्रतिनिधि होने के नाते संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति होनी चाहिए। वे इस फैसले के खिलाफ बहस करने के लिए 'शक्तियों के विभाजन' के सिद्धांत का भी आह्वान करते हैं, जिसमें कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग संविधान में किसी भी संशोधन को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है, जो इसके बुनियादी तत्वों या बुनियादी सुविधाओं को नष्ट या कमजोर कर देता है।

संविधान लचीला या कठोर होना चाहिए, यह उस विधान सभा में गहन चर्चा का विषय रहा है जिसे संविधान बनाने का कार्य दिया गया था। कई लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 304 (वर्तमान अनुच्छेद 368) के प्रावधान को बहुत कठोर देखा, इसमें संसद के उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और किसी भी संवैधानिक संशोधन को पास करने के लिए मतदान को निर्धारित किया गया था। उनका मानना था कि संविधान में संशोधन को आसान बनाया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि 'सर्वजनीन वयस्क मताधिकार' के आधार पर अस्तित्व में आने वाली 'भविष्य संसद' को संविधान सभा की संवैधानिक स्थिति में गौण नहीं माना जा सकता था, जिसे एक सीमित मताधिकार पर और फिर अप्रत्यक्ष रूप से अलग–अलग मतदाताओं पर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। उनमें से कुछ का विचार था कि संविधान अधिक कठोर होना चाहिए।

हालांकि प्रारूप (ड्राफ्ट) समिति के अध्यक्ष डा. अंबेडकर ने 17 सितंबर 1949 को – संविधान सभा में दिए गए अपने भाषण में पूर्वकथित बहस का सार निम्नलिखित शब्दों में दिया:

"मुझे लगता है कि माननीय सदस्य देखेंगे कि प्रारूपण समिति द्वारा अपनाए गए सिद्धांत निर्विवाद हैं, सिवाय, उन लोगों की दृष्टि में जो यह सोचते हैं कि संविधान को जवाबदेह होना चाहिए, संविधान को प्रत्येक अनुच्छेद को साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करने के लिए खुला होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, मैं इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। संविधान मौलिक दस्तावेज है। यह एक दस्तावेज है जो राज्य के तीन अंगों– कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति और शक्ति को परिभाषित करता है। यह कार्यपालिका की शक्तियों को और विधायिका की शक्तियों को नागरिकों के विरुद्ध के जैसे भी परिभाषित करता है, जैसा कि हमने मौलिक अधिकारों से संबंधित अपने अध्याय में किया है। वास्तव में, संविधान का उद्देश्य केवल राज्य के अंगों का निर्माण करना नहीं है बल्कि उनके अधिकार को सीमित करना है, क्योंकि यदि अंगों के प्राधिकार पर कोई सीमा नहीं लगाई गई तो पूर्ण अत्याचार और पूर्ण दमन होगा। विधानमंडल किसी विधि का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है; कार्यपालिका कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो सकती है; और सर्वोच्च न्यायालय कानून की कोई व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। इससे काफी व्यापक अराजकता होगी।"

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बहस एक अलग संदर्भ में हुई थी, लेकिन डा. अंबेडकर के उपर्युक्त अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हमारे संस्थापकों का इरादा संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को निर्बाध शक्ति देना नहीं था।

संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य देने से पहले संविधान सभा ने उस प्रस्ताव पर विचार किया जिसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को 13 सितंबर 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव संविधान सभा के लिए लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करता है, जो कि पंडित नेहरू के अनुसार, 'इस योजना और बिंदुओं की एक रूपरेखा का वर्णन करते हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं'। भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने के अलावा, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्राप्त करना प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता और कानून के समक्ष समानता, विचार,

अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्य की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों आदि के लिए सुरक्षा प्रदान करने के कुछ लक्ष्य और उद्देश्य संविधान सभा के लिए तय किए गए थे। वहीं इस बात पर जोर देते हुए कि यह प्रस्ताव 'निश्चित मौलिकों को निर्धारित करता है' पं. नेहरू ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा, "यह एक प्रस्ताव है और फिर भी यह प्रस्ताव से कहीं अधिक है। यह एक घोषणा है। यह एक दृढ़ संकल्प है। यह एक शपथ और वचन है और मैं उम्मीद करता हूँ यह हम सभी के लिए एक घोषणा है. . ."

प्रस्ताव में निहित ये मूल तत्व हैं: इन लक्ष्यों और उदेश्यों को बाद में भारत के संविधान में भी जगह मिली। वास्तव में, हमारे संविधान के 'मौलिक' कहे जाने वाले इन मूल तत्वों का विकास हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था। इसलिए, संविधान में कहीं भी 'बुनियादी रूपरेखा या बुनियादी संरचना' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, फिर भी, संविधान की मौलिक रूपरेखा को इसके प्रावधानों और भावना दोनों में स्पष्ट महसूस करना मुश्किल नहीं है। इस प्रकार, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 'भानुमति आदि बनाम उत्

तर प्रदेश राज्य मामले में 04 मई 2010 को निर्णय लिया था' जैसे हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में अनेक मुद्दे डॉक्टरिन ऑफ साइलेन्स से विकसित हुए हैं, बुनियादी संरचना सिद्धांत के रू–बरू संविधान का अनुच्छेद 368 भी संविधान में कान्सेप्ट ऑफ साइलेन्स (यानि जिसका पूर्ण विवरण संवैधानिक न्यायशास्त्र में नहीं मिलता) से उभरे हैं।

स्वतंत्रता के बाद कई राज्यों ने भूमि सुधार कानूनों को लागू किया था। ये विधायी कार्य वास्तव में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा लिए गए संकल्प के अनुरूप थे। हम सभी जानते हैं कि 'जाति' और 'जमींदारी' व्यवस्था सदियों से भारतीय समाज में असमानता, शोषण और दमन का स्रोत रही है। इस प्रकार, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन केवल विदेशी शासन और साम्राज्यवादी शोषण से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं था, बल्कि जाति और जमींदारी प्रणाली से उत्पन्न इस सामाजिक–आर्थिक असमानता, शोषण और उत्पीड़न से स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों को अच्छी तरह पता था कि न्याय–सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एक न्यायपूर्ण और स्वतंत्र समाज के लिए अपरिहार्य थे। महात्मा गांधी ने पत्रकार लुई फिशर के साथ अपने प्रसिद्ध साक्षात्कार में 'जमीन जोतदार की' के सिद्धांत पर किसानों के बीच भूमि के वितरण की जोरदार वकालत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी कृषि सुधारों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए थे। कम्युनिस्ट एक कदम आगे चले गए। उन्होंने किसानों और मुजाराओं को संगठित किया और देश के विभिन्न हिस्सों में जमींदारी उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ उग्र संघर्ष किया, जो विशेष रूप से तेलंगाना, तेभागा, पेपसु (पटियाला एण्ड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन) आदि में प्रचंड था।

इस प्रकार, भारत के संविधान के लागू होने के तुरंत बाद जब विभिन्न राज्यों द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भूमि सुधार कानून पारित किए गए थे, लेकिन इन कानूनों को संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा जमींदारों के मामले पर इस आधार पर गिरा दिया गया था कि उन्होंने संविधान में संपत्ति और अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। संसद ने 1951 में संविधान में पहला संशोधन पारित किया जिसमें अनुच्छेद 31–ए, 31–बी और 9वीं अनुसूची संविधान में शामिल की गई थी कृषि कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 13 से बचाने के लिए, अनुच्छेद 13 संविधान के भाग–3 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को निष्प्रभावी घोषित करता है।

यह पहला संविधान संशोधन जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष 15 अक्टूबर 1951 को शंकरी प्रसाद सिंह देव और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में आया। इस तर्क को खारिज करते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 13 के 'कानून' संवैधानिक संशोधनों में शामिल होंगे, अदालत ने कहा कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की संसद की अबाधित शक्ति थी। इस प्रकार, पहला संवैधानिक संशोधन संवैधानिक रूप से वैध माना गया था। उक्त विचार को बाद में सज्जन सिंह के मामले (संजन सिंह बनाम राजस्थान राज्य दिनांकित 30.10.1964) में अनुमोदित किया गया था, इस मामले में संविधान (17वां

संशोधन) अधिनियम, 1964 को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ और भूमि सुधार कानून शामिल किए गए थे। 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल नौवीं अनुसूची में उन केन्द्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। सज्जन सिंह के मामले का फैसला 3–2 के बहुमत के साथ किया गया था। तिस पर भी, इस मामले में अल्पसंख्यक विचारों ने हमें भारत में बुनियादी व्यवस्था के सिद्धांत का शुरुआती उद्गम दिया । न्यायमूर्ति मुधोलकर ने अपनी अल्पमत राय में कहा कि–

"सबसे बढ़कर, इसने एक गंभीर और सम्मानजनक प्रस्तावना तैयार की जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं का प्रतीक प्रतीत होती है। क्या यह नहीं कहा जा सकता कि ये संविधान की बुनियादी विशेषताओं को स्थायित्व प्रदान करने के लिए संविधान सभा के अंतर्भाव के चिन्ह हैं?

यह भी विचारणीय विषय है कि क्या संविधान की मूल रूपरेखा में परिवर्तन को केवल संशोधन के रूप में माना जा सकता है या यह वास्तव में, संविधान का पुर्नलिखित हिस्सा है, और, यदि यह परिवर्ती है, क्या यह अनुच्छेद 368 के दायरे में होगा?''

लेकिन 'सज्जन सिंह' के मामले के तुरंत बाद 'गोलक नाथ' (गोलक नाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य–11 जज बेंच दिनांक 27 फरवरी1967) का मामला आया।इस प्रकरण ने 'शंकरी प्रसाद' और 'संजन सिंह' दोनों के निर्णयों को पलट दिया, दोनों निर्णयों में कहा गया था कि संवैधानिक संशोधन भी संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन था। इसका मतलब था कि भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि उन्होंने भूमि मालिक के संपत्ति के अधिकार और अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।

इस प्रकार, गोलक नाथ के मामले में 6–5 के फैसले ने संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर इस विचार के द्वारा सारगर्भित परिसीमा स्थापित की कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संवैधानिक संशोधन द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है।

इसलिए 'गोलक नाथ' प्रकरण के निर्णय से उभरने के लिए संसद ने संविधान (24वां संशोधन) अधिनियम, 1971 पारित किया और उसके बाद संविधान 25वां (संशोधन) अधिनियम, 1972 पारित किया ताकि संपत्ति के अधिकार को कमजोर किया जा सके और संशोधन शक्ति के अपने प्रयोग में संसद पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जा सके। 1972 में ही 1969 के केरल भूमि सुधार अधिनियम, और 1971 के केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, के कुछ प्रावधानों को केरल उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, उन्हें 1972 के संविधान (29वां संशोधन) अधिनियम के तहत अदालत में चुनौती से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इन सभी संशोधनों को 'केशवानन्द भारती बनाम केरल सरकार, दिनांक 24.04.73' के प्रकरण में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता, जो केरल में एडनीर मठ के मठपति थे, ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में दलील दी कि उपरोक्त कानून संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 14, 19 (1) (एफ) और 31 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे और 1968 में भूमि सुधार विधेयक 'मार्क्सवादियों के दबदबे वाली', तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा केरल विधानसभा में पेश किया गया था, मौलिक कानून में मूलभूत बदलाव करने के लिए 1963 का केरल भूमि सुधार अधिनियम लाया गया 'अपनी राजनीतिक विचारधारा को पूरा करने के लिए'।

पीठ ने 24 अप्रैल1973 को इस मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया।'गोलक नाथ' मामले के फैसले को नामंजूर करते हुए अदालत ने 24वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि मूल अधिकारों से संबंधित सभी अनुच्छेदों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते संविधान की बुनियादी व्यवस्था और संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया हो। संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक और जनतान्त्रिक रूप की सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष और संघीय स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का अलगाव, राष्ट्र की एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता आदि की पीठ के सदस्यों द्वारा अपने संबंधित निर्णयों में संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताओं के रूप में पहचान की गई थी। खन्ना जे. ने अपने विचार को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया–

"उदाहरण के लिए, संशोधन के तहत लोकतांत्रिक सरकार को तानाशाही या वंशानुगत राजतंत्र में बदलना संभव नहीं होगा और न ही लोकसभा और राज्यसभा को समाप्त करने की अनुमति होगी। राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, जिसके अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इसे (राज्य के चरित्र को) संशोधन से समाप्त नहीं किया जा सकता"।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि मूल संरचना का सिद्धांत संपत्ति के अधिकार से जुड़े मामलों में उभरा है, जैसा कि आजादी के बाद के पहले कुछ दशकों में संपत्तिशाली वर्गो के मौलिक अधिकारों और गरीबों, दलितों और उत्पीड़ित लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के संवैधानिक उद्देश्य के बीच द्वन्द्व था। जहां शुरू में विभिन्न उच्च न्यायालय ने सामाजिक और आर्थिक न्याय पर संपत्ति और मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी थी, वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने 'शंकरी प्रसाद' और 'संजन सिंह' के प्रकरण में सामाजिक और आर्थिक न्याय के पक्ष में पलड़ा पलट दिया। यद्यपि, यह बहुत कम समय के लिए साबित रहा क्योंकि 'सज्जन सिंह' प्रकरण के तुरंत बाद ही 'गोलकनाथ' का प्रकरण आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर संपत्तिशाली वर्गो के पक्ष में फैसला सुनाया। इससे संसद को 24वां संविधान संशोधन पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसकी वैधता को 'केशवानंद भारती' में बरकरार रखा गया था इस अनुबंध के साथ कि संसद संविधान में संशोधन के दौरान संविधान की मूलभूत संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। इसके बाद आए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों से पता चलता है कि कैसे बुनियादी संरचना के सिद्धांत ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के पक्ष में संवैधानिक न्यायशास्त्र के विकास में भूमिका निभाई है। इस सिद्धांत को लागू किया गया है और उसके बाद इस सिद्धांत को चुनावों, लोकतांत्रिक अधिकारों, न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि से संबंधित सवालों के मामलों में दोहराया गया है।

मूल संरचना का सिद्धांत संपत्ति के अधिकार से जुड़े मामलों में उभरा है, जैसा कि आजादी के बाद के पहले कुछ दशकों में संपत्तिशाली वर्गो के मौलिक अधिकारों और गरीबों, दलितों और उत्पीड़ित लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के संवैधानिक उद्देश्य के बीच द्वन्द्व था। जहां शुरू में विभिन्न उच्च न्यायालय ने सामाजिक और आर्थिक न्याय पर संपत्ति और मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी थी, वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने 'शंकरी प्रसाद' और 'संजन सिंह' के प्रकरण में सामाजिक और आर्थिक न्याय के पक्ष में पलड़ा पलट दिया।

पहला मामला जिसमें पूर्वोक्त सिद्धांत को 'केशवानंद' के बाद लागू किया गया था, उसमें लोकतंत्र पर आधारित अधिकार शामिल थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का संसद में चुनाव इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा 12 जून1975 को 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण' नामक एक चुनावी याचिका में निर्धारित किया गया था। इस फैसले को रद्द करने के लिए संसद ने 39वां संविधान संशोधन पारित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। यह संशोधन इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण (दिनांकित 07 नवंबर1975) प्रकरण में चुनौती का विषय बना। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कि मौलिक अधिकार संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं, जिसे बदला नहीं जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि संविधान ही सर्वोच्च है, न कि संविधान शक्ति। इसी तरह, 'मिनर्वा मिल्स लिमिटेड' और 'अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य' (दिनांकित 31 जुलाई1980) में, जहां चुनौती का विषय संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 था, जहां संविधान के अनुच्छेद 31सी में संशोधन किया गया था, न्यायालय ने संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को लागू किया। 42वें संशोधन के द्वारा यह अनुबंध किया गया था कि भाग 4 में निर्धारित सभी या किन्हीं सिद्धांतों को सुरक्षित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभाव देने वाला कोई कानून इस आधार पर शून्य समझा जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 द्वारा प्रदत्त अधिकारों से असंगत है या अधिकारों को छीनता है या अधिकारों को घटाता है, और कोई कानून यह घोषणा नहीं करता कि यह इस तरह की नीति को प्रभावी करने के लिए है वह कानून किसी भी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत होगा कि यह इस तरह की नीति को प्रभावी नहीं करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1976 के संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, के 55 वें भाग की धारा निरस्त थी चूंकि यह संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट करती है। इस बात पर कायम रहते हुए कि 'नीति निर्देशक सिद्धांतों' की 'मौलिक अधिकारों' पर श्रेष्ठता नहीं हो सकती और न्यायिक समीक्षा बुनियादी व्यवस्था का हिस्सा है, चंद्रचूड़ जे. ने बहुमत में टिप्पणी की–

" संविधान की पहचान को नष्ट करने का अधिकार प्रदान करने के साथ–साथ इस प्रावधान के साथ कि कोई भी न्यायालय ऐसे विनाश की वैधता पर निर्णय नहीं लेगा, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधन करने वाली शक्ति के पास सीमाओं के उल्लंघन का एक पारदर्शी मामला है।"

राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (ए आई आर 1977 एस सी 1361) के प्रकरण में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा तथा शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूल विशेषताऐं थीं। इसी तरह 'इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ' (दिनांकित 16 नवंबर1992) में संविधान की धर्मनिरपेक्ष विशेषता को उसकी मूल संरचना का हिस्सा माना गया था, जिसे बाद में 'एस.आर. बोम्मई और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (11 मार्च1994) प्रकरण में दोहराया गया था। 'बोम्मई' ने यह भी दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 15,16 और 25 से 30 में निहित लोकतंत्र, संघवाद, मौलिक अधिकार भी संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा हैं।

वैसे, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि हम कहें कि पिछले 50 वर्षो में लोकतंत्र के रूप में भारत के लिए बुनियादी संरचना का सिद्धांत जिम्मेदार है। यह किसी भी संविधान की संशोधन शक्तियों में मौजूद लचीलेपन और कठोरता के बीच अच्छा संतुलन प्रदान करता है। हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति ने बुनियादी संरचना के सिद्धांत की अब आलोचना की है। लेकिन व्यावहारिक रूप से बुनियादी संरचना या हमारे संविधान की बुनियादी विशेषताओं पर चाहे वह संघवाद हो, संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकों के मौलिक अधिकार, विशेष रूप से बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सभी पर 2014 से सीधा हमला किया जा रहा है जब से वर्तमान शासन केंद्र और विभिन्न राज्यों में सत्ता में आया है। इसलिए, हम, भारत के नागरिकों को इस हमले के खिलाफ और और संविधान के पक्ष में खड़ा होना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने हाल में दिए एक साक्षात्कार में अपने विचार रखे कि यदि 'मूलभूत संस्वना सिद्धांत' हटता है, हमारे सभी अपृथकनीय और मौलिक अधिकार भी जल्दी ही चले जाएंगे। हाल ही में नानी पालखीवाला मेमोरियल स्पीच में दिए गए संबोधन में मुख्य न्यायाधीश डी. वाई.चंद्रचूड़ ने बहुत मजबूती से इस सिद्धांत का पक्ष लिया। उन्होंने कहा, "हमारे संविधान की मूलभूत संरचना, ध्रुव तारे के जैसी है, मार्गदर्शक है और संविधान के व्याख्याकारों और कार्यान्वयनकर्ताओं को निश्चित निर्देश देती है जब आगे का रास्ता घुमावदार है"। मूलभूत संरचना सिद्धांत के आलोचकों को इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता जो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा।

समान नागरिक संहिता पर विभाजनकारी राजनीति से राष्ट्रीय एकता को खतरा

डॉ. ज्ञान पाठक

भारत के केंद्रीय विधि आयोग द्वारा 14 जून, 2023 को समान नागरिक संहिता पर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से राय मांगने की अधिसूचना जारी करने के साथ, भाजपा–आरएसएस परिवार की विभाजनकारी राजनीति हमेशा की तरह, 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए आगे बढ़ी है। चूंकि इस मुद्दे को हमेशा पूरे देश में सभी धार्मिक समुदायों को तेजी से विभाजित करते हुए देखा गया है, यह देश के लिए एक ऐसे समय में एक अपशकुन है जब हिंदुत्व की सांप्रदायिक राजनीति ने लोकतंत्र पर कब्जा जमा लिया है।

कुछ महीने पहले अक्टूबर 2022 में, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को बताया था कि देश में धर्म के आधार पर व्यक्तिगत कानून 'राष्ट्र की एकता का अपमान' है और समान नागरिक संहिता एक अपरिवर्तनीय कानूनी व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न समुदायों को एक साझा मंच पर लाकर भारत के एकीकरण में मदद करेगी। उनकी यह राय कलह और फूट की जमीनी हकीकत के ठीक विपरीत था जो कलह हमेशा समान नागरिक संहिता के इर्द–गिर्द घूमती रही है।

अब केवल लगभग 8 महीनों के बाद, भारत का 22वां विधि आयोग, 'विषय की प्रासंगिकता और महत्व और साथ ही इस विषय पर विभिन्न न्यायालय के आदेशों' का हवाला देते हुए यह सिफारिश की अधिसूचना लेकर आया है, जिसने इस पर नए सिरे से विचार–विमर्श करना सामायिक माना था। यह देखने से ही पता चल जाता है कि यह इस मुद्दे पर मोदी सरकार के राजनीतिक हुक्म का पालन कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे इसने अधिक कठोर राजद्रोह कानून के संबंध में उनके विचार को प्रतिध्वनित किया था। जिसे सरकार भारत की संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान लाने की

योजना बना रही है।

इसके अलावा, 22वें विधि आयोग ने 21वें विधि आयोग के पहले के दृष्टिकोण को उलट दिया है, जिसने 31 अगस्त, 2018 को 'पारिवारिक कानून में सुधार' पर अपना 182–पृष्ठ का परामर्श पत्र प्रस्तुत किया था। तब इसने प्रस्तुत किया था कि इससे भारतीय संस्कृति की विविधता का जश्न मनाया जा सकता है और मनाया जाना चाहिए, इस प्रक्रिया में विशिष्ट समूहों या समाज के कमजोर वर्गों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस संघर्ष के समाधान का मतलब सभी मतभेदों को खत्म करना नहीं है। इसलिए इस आयोग ने एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने के बजाय भेदभावपूर्ण कानूनों से निपटा है जो इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। अधिकांश देश अब अंतर की मान्यता की ओर बढ़ रहे हैं और अंतर के अस्तित्व का मतलब भेदभाव नहीं है, बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र का संकेत है।

विधि आयोग के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना अधिक ठोस था, क्योंकि भाजपा–आरएसएस कबीले के राजनीतिक रुख के खिलाफ, जो हमेशा धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने की कोशिश करते रहे हैं, समुदायों के बीच, विशेष रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक द्वेषपूर्ण माहौल पैदा करते रहे हैं। धार्मिक आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण के मुख्य उद्देश्य के साथ है। वे हिंदुत्व की बहुसंख्यकवादी राजनीति के अभ्यासी हैं, और देश में सभी समुदायों पर हिंदुओं के राजनीतिक प्रभुत्व को केवल आबादी के बल पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों को पहचानने के बजाय जो लोकतंत्र, मानव और मौलिक अधिकारों की भावना के खिलाफ हैं। कुछ लागू करने योग्य कानून बनाकर अन्य समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप की मांग की जाती है, जिसे भारत के संविधान ने विशेष रूप से प्रतिबंधित किया है। बीजेपी के लिए, समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है जो पार्टी को अपने पक्ष में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने में मदद करता है, और उन्हें उम्मीद है कि यह उन्हें धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने सपने को साकार करने में सक्षम बना सकता है। यही कारण था कि जब पीएम मोदी सत्ता में आए तो 17 जून 2016 को 21वें विधि आयोग को एक संदर्भ दिया गया था। हालांकि, 'परिवार कानून में सुधार' पर इसकी रिपोर्ट ने बीजेपी–आरएसएस की योजना को तार्किक रूप से अस्थिर कर दिया था, विशेष रूप से यह कहकर कि समान नागरिक संहिता 'न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है।' फिर भी, यह भाजपा को इस मुद्दे को छोड़ने में सफल नहीं हुई। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में फिर से वादा किया गया कि सत्ता में आने पर वे समान नागरिक संहिता लाएंगे। चार साल बीत चुके हैं और अब जब लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 10 महीने ही बचे हैं तो 22वें विधि आयोग के जरिए यह मुद्दा फिर से सामने आ गया है।

22वें विधि आयोग द्वारा जारी नोटिस में 2016 के पुराने संदर्भ का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि वह इस विषय की जांच कर रहा है। तदनुसार, 22वें विधि आयोग ने एक यूसीसी के बारे में बड़े और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों में जनता के विचारों और विचारों को जानने के लिए फिर से निर्णय लिया है। जो रुचि रखते हैं और इच्छुक हैं, वे नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।

मोदी सरकार और 22वें विधि आयोग के बीच वास्तव में क्या हुआ है, जो कई मुद्दों पर सरकार के दृष्टिकोण को दोहराता रहा है, यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब यह एक मंच कैसे बन गया है।

यहां तक कि तीन महीने पहले 23 मार्च को, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यूसीसी को इस तरह के कानून को लागू करने के लिए विधायिका को कोई निर्देश देने से इनकार करने की मांग वाली कई याचिकाओं हटा दिया था। राजनीतिक मकसद को छोड़कर इस स्तर पर समान नागरिक संहिता की तात्कालिकता का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान अब एक कठिन चुनावी लड़ाई का सामना कर रहा है, जिसमें हिंदुत्व की कोई लहर नहीं है, जैसा कि हमने 2014 और 2019 के चुनावों में देखा है, अब लोग मोदी सरकार के बेहद निराशाजनक प्रदर्शन से मायूस हैं। (आईपीए सेवा)

इंसान के विकास के इतिहास को बदल रहा सबसे पुराना कब्रिस्तान

वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका में अब तक का सबसे पुराना कब्रिस्तान मिला है, जो इंसान के विकास के बारे में अब तक की पूरी समझ पर सवाल खड़े करता है।

दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों को एक कब्रिस्तान मिला है, जो दुनिया का अब तक ज्ञात सबसे पुराना कब्रिस्तान हो सकता है। इस कब्रिस्तान में उन आदिमानवों के अवशेष मिले हैं, जिनका मस्तिष्क छोटा होता था। उनके बारे में अब तक ये माना जाता रहा है कि वे इतने विकसित नहीं थे कि आज जैसे जटिल मानवीय सामाजिक कामकाज कर सकें। लेकिन उनका कब्रिस्तान होना वैज्ञानिकों के लिए हैरत की बात है क्योंकि इस खोज से उनकी अभी तक की समझ को चुनौती मिलती है।

प्रसिद्ध पुरातन मानवविज्ञानी ली बर्जर के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक दल को जोहैनिसबर्ग के नजदीक गुफाओं के एक जाल में यह कब्रिस्तान मिला है। इस कब्रिस्तान में धरती के करीब सौ फुट नीचे आदिमानवों के अवशेष मिले हैं। यह जगह यूनेस्को विश्व धरोहरों में शामिल है।

पाषाण युग से संबंध

जिन आदिमानवों के अवशेष मिले हैं, वे पाषाण युग के हैं और उन्हें पेड़ों पर चढ़ने जैसी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। अपनी खोज के बारे में वैज्ञानिकों ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया है, जिसकी अभी अन्य विशेषज्ञों ने समीक्षा नहीं की है।

10 करोड़ सालों तक 36 किस्म के सॉरोपोड रहे सबसे बड़े डायनासोर

इस शोधपत्र में वे लिखते हैं कि मानव इतिहास में ये अब तक के सबसे प्राचीन दफन अवशेष हैं। अब तक के ज्ञात दफन अवशेषों से ये कम से कम एक लाख साल पुराने हैं।

यह खोज मानव के विकास को लेकर मौजूदा समझ को चुनौती देती है। अब तक यह समझा जाता रहा है कि मानव मस्तिष्क के आकार बढ़ने का संबंध अर्थपूर्ण मानवीय गतिविधियों के विकास से है। यानी जैसे–जैसे मस्तिष्क का आकार बड़ा हुआ, मानव ज्यादा जटिल सामाजिक गतिविधियां करने लगा, मसलन शवों को दफनाना।

लेकिन नई खोज में जो अवशेष मिले हैं, वे छोटे आकार के मस्तिष्क वाले आदिमानवों के हैं, जिनसे पता चलता है कि छोटे मस्तिष्क वाले आदिमानव भी अपने शवों को दफनाते थे।

दो लाख वर्ष पुराने

इससे पहले जो सबसे पुराने कब्रिस्तान मिले थे, वे मध्य पूर्व और अफ्रीका में हैं। उनमें होमो सेपियंस आदिमानवों के अवशेष दफन थे और उनकी आयु एक लाख वर्ष आंकी गई थी। दक्षिण अफ्रीका में जो अवशेष मिले हैं, उनकी आयु दो लाख वर्ष बताई जाती है।

एक अहम बात यह भी है कि ये अवशेष होमो नालेदी प्रजाति के हैं, जो इंसान और बंदरों के बीच की प्रजाति मानी जाती है। उनकी लंबाई पांच फुट तक होती थी और उनके मस्तिष्क का आकार संतरे जितना होता था।

मुड़ी हुई उंगलियों और पंजों वाले वे आदिमानव हाथों से औजार चला सकते थे और खड़े होकर चल सकते थे। उनकी खोज भी बर्जर ने ही की थी। 2013 में सबसे पहले उनकी खोज राइजिंग स्टार गुफाओं में हुई थी और उन्हीं के नाम पर उन्हें राइजिंग स्टार नाम दिया गया था।

दिल्ली ऐप्सो ने मनाया चे ग्वेरा का 95वां जन्मदिवस

शतरंज प्रतियोगिता के माध्यम से क्रान्तिकारी को किया याद

वी राकेश

नई दिल्ली, 14 जून 2023: अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन, दिल्ली राज्य द्वारा क्रन्तिकारी चे ग्वेरा के 95वें जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में चे ग्वेरा मेमोरियल चे समीट (शतरंज प्रतियोगिता) का आयोजन किया गया। जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र–छत्राओं ने बढ़–चढ़कर भागीदारी की। चे ग्वेरा एक अत्यंत प्रभावी रणनीतिकार थे और शतरंज के खेल से लगाव रखते थे। क्यूबा की क्रांति के बाद उन्होंने हिल्टन होटल हवाना को हवाना लिब्रे (आजाद हवाना) नाम दिया और वहां कई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। चे ग्वेरा के शतरंज प्रेम और शांति, एकजुटता और गैर बराबरी खत्म करने के उनके संघर्षो को याद करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन संसद सदस्य पी. संदोष कुमार ने किया और प्रतिभागियों व उपस्थित समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि चे ग्वेरा एक अप्रतिम प्रतिभा के धनी योद्धा और क्रांतिकारी थे जिनकी बोलीविया में हुयी हत्या के पीछे सीआईए का हाथ था। आज पूरे देश में और कई अन्य संगठन चे ग्वेरा का जन्म दिन मना रहे हैं और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनके गैर–समझौतावादी संघर्ष को याद कर रहे हैं। इस महान क्रांतिकारी को भी शतरंज बहुत पसंद था और वे मानते थे कि शतरंज का खेल सिर्फ खेल न होकर संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे उन्होंने ऐप्सो का परिचय देते हुए कहा कि ये एक समावेशी संगठन है जो देशभर में शांति और सद्भावना के लिए काम करता है। आप सभी लोगों को भी ऐप्सो से जुड़कर शांति और सद्भाव में हिस्सेदारी देना चाहिए क्योंकि क्योंकि आज के समय में इसकी बहुत आवश्यकता है। अंत में उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।

ऐप्सो के राष्ट्रीय महासचिव आर. अरुण कुमार ने प्रतिभागियों को चे ग्वेरा के शतरंज प्रेम के बारे में विस्तार से बताया साथ ही क्यूबा और भारत के मजबूत रिश्तों के बारे में भी बात की। शांति एवं एकजुटता सम्बन्धी गतिविधियों में जेएनयू की विशेष भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों का बड़ी संख्या में इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेना एक सकारात्मक संकेत है। चे ग्वेरा के कभी न हार मानने वाले व्यक्तित्व का उदहारण देते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को शुभकामनायें दीं। कार्यक्रम को क्यूबा और वेनेजुएला के दूतावासों से आये प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया और एकजुटता की दिशा में ऐप्सो के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रतिभागियों का शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का संचालन ऐप्सो दिल्ली राज्य के महासचिव विवेक ने किया और खेल की शुरुआत की। सभी प्रतिभागियों के साथ खेल को सुचारु रखने का कार्य शतरंज के खिलाडी एवं प्रशिक्षक प्रखर राज ने किया। कार्यक्रम में सीपीआई राष्ट्रीय सचिव डॉ. भालचंद्र कांगो, एआईएसएफ राष्ट्रीय महासचिव विक्की महेसरी, राजद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमित कुमार, ऐप्सो दिल्ली के महासचिव सुभाष चंद्रन, दिल्ली शांति समिति के सदस्य एड. मोहन पालीवाल, ऐप्सो के राष्ट्रीय परिषद सदस्य राकेश विश्वकर्मा, ऐप्सो राज्य परिषद सदस्य एड. धीरेंद्र तिवारी एवं ऋषभ शर्मा, जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव दानिश, एसएफआई जेएनयू

के पूर्व–अध्यक्ष हरेंद्र शेषमा, एसएफआई जेएनयू के सचिव साग्निक, एआईएसएफ जेएनयू के संयोजक संतोष कुमार के अतिरिक्त विभिन्न छात्र एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। चार घंटे से भी अधिक के खेल के बाद सभी प्रतिभागियों एवं विजेताओं को पुरुस्कार वितरण किया गया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र के साथ बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की पुस्तक–जाति का विनाश– की प्रति भेंट की गयी। प्रथम तीन प्रतिभागियों को विशेष पुरुस्कार दिए गए। पुरुस्कार वितरण ऐप्सो के राष्ट्रीय महासचिव आर. अरुण कुमार, एआईएसएफ के राष्ट्रीय महासचिव विक्की महेसरी एवं ऐप्सो दिल्ली राज्य के महासचिव सुभाष चंद्रन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगियों का आभार प्रकट करते हुए एवं ऐप्सो कि गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के आव्हान के साथ ऐप्सो दिल्ली के महासचिव विवेक ने किया।

विधानसभा चुनाव: भाकपा–माकपा ने लिया साझा अभियान का निर्णय

भोपाल, दिनांक 6 जून 2023: मध्य प्रदेश विधान सभा के आगामी चुनाव हेतु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा साझा अभियान शुरू कर चुनाव में भाजपा को पराजित कर विधान सभा में वामपंथ का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की तैयारी की जायेगी।

यह निर्णय भोपाल में भाकपा के राज्य कार्यालय शाकिर सदन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की संयुक्त बैठक में लिया गया। इस बैठक में भाकपा के राज्य सचिव अरविन्द श्रीवास्तव, माकपा के राज्य सचिव जसविंदर सिंह, माकपा नेता बादल सरोज, भाकपा नेता शैलेन्द्र शैली और विजेन्द्र सोनी शामिल हुए।

इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद जारी एक संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव में भाकपा और माकपा मिलकर चुनाव लड़ेंगी। भाकपा और माकपा द्वारा संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार किया जाएगा। इस विधान सभा चुनाव में भाजपा को पराजित कर विधान सभा में वामपंथ का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु समान विचारों के वामपंथी, धर्म निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक संगठनों के साथ मिलकर साझा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सांप्रदायिक, प्रतिगामी, पूंजीवादी, जन विरोधी ताकतों के खिलाफ जन शिक्षण कर समाजवाद, भारत के संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में जनता को लामबंद किया जाएगा। इस अभियान की तैयारी हेतु भोपाल में आगामी 15 जुलाई को समान विचारों के संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई है ।

जैक डोर्सी ने दिखाया भारत में प्रेस की आजादी का असली चेहरा

हाल ही में टिवट्र के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी का एक साक्षात्कार सुर्खियों में है। इसमें उन्होंने रेखांकित किया है कि किस प्रकार मोदी सरकार ने उनके सोशल मीड़िया प्लेटफार्म को कंट्रोल करने की कोशिश की और उन्हें डराया धमकाया। डोर्सी के इस साक्षात्कार के बाद भारत सरकार का प्रेस की आजादी के प्रति रूख और रवैये दुनिया के सामने आ चुका है।

भारत में मोदी सरकार पर ये आरोप कई बार लग चुके हैं कि अपनी छवि बचाने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को कुचला जाता है। मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित किया जाता है। पत्रकारों को डरा–धमका कर सही खबर दिखाने से रोका जाता है और जो फिर भी सच दिखाने या लिखने का साहस करते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। देश में उठते ऐसे आरोपों को भाजपा क्षुद्र राजनीतिक स्टंट करार देती है और अगर विदेश से ऐसे आरोप लगें तो इसमें कांग्रेस की साजिश तलाशी जाने लगती है।

अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक साक्षात्कार में दावा किया है कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने उन्हें ट्विटर को बंद कर देने की धमकी दी थी। जैक डोर्सी ने ये दावा सोमवार को यू ट्यूब चैनल ब्रेकिंग प्वाइंट के साथ साक्षात्कार में किया है।

इस साक्षात्कार में जैक डोर्सी से पूछा गया था कि, दुनियाभर के ताकतवर लोग आपके पास आते हैं और कई तरह की मांगें करते हैं। आप नैतिक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं। इन हालात से आप कैसे निकलते हैं? ध्यान देने की बात ये है कि इस सवाल में किसी देश या भारत का नाम भी नहीं लिया गया, बस ताकतवर लोगों की उन मांगों के बारे में पूछा गया, जो बेजा हो सकती हैं। जवाब में जैक डोर्सी ने कहा कि मिसाल के तौर पर भारत एक ऐसा देश है, जहां से किसान आंदोलन के दौरान हमारे पास बहुत सी मांगें आ रहीं थीं। कुछ खास पत्रकार सरकार के आलोचक थे, उनके बारे में। एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे। आपके कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देंगे, जो उन्होंने किया। डोर्सी ने ये भी कहा कि ये भारत में हो रहा था, जो लोकतांत्रिक देश है।

चुनावी मौसम में जैक डोर्सी के जवाब और सरकार पर सीधे–सीधे उंगली उठाने से सियासी भूचाल आना तय था और ऐसा ही हुआ। आरोपों को खारिज करते हुए केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीक राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि ये ट्विटर के इतिहास के एक संदिग्ध दौर को साफ करने का प्रयास है। खास बात ये है कि ये सफाई उन्होंने ट्विटर पर ही जारी की है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जैक डोर्सी के नेतृत्व में ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय नियमों का उल्लंघन कर रही थी। तथ्य ये है कि साल 2020 से 2022 के बीच उन्होंने लगातार भारत के कानूनों का पालन नहीं किया। ट्विटर ने अंततः जून 2022 में कानूनों का पालन किया। उन्होंने ये भी कहा कि ना ही कोई जेल गया था और ना ही ट्विटर बंद हुआ था। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे ये सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम कर रही सभी कंपनियां भारतीय कानूनों का पालन करें।

गौरतलब है कि जैक डोर्सी ने किसान आंदोलन के दौरान ही सरकार से दबाव का जिक्र किया।

साल भर से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करते रहे, धरने पर बैठे रहे। देश–विदेश का ध्यान इस आंदोलन ने खींचा। भाजपा की ओर से कई बार किसानों को गलत बताया गया, कई लोगों ने किसानों पर खालिस्तानी और देशद्रोही होने का

इल्जाम लगाया। 26 जनवरी 2021 को किसान संगठनों ने 'ट्रैक्टर परेड' का आयोजन किया था, जिस दौरान राजधानी के अलग–अलग हिस्सों में हिंसक वारदात देखने को मिलीं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लाल किले पर हुई हिंसा की हो रही थी, जिसके बाद सरकार ने ट्विटर को लगभग 1100 अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था।

सरकार का दावा था कि इनमें से ज्यादातर अकाउंट खालिस्तान समर्थकों के हैं या फिर कुछ ऐसे लोगों के भी हैं जो कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन या फिर 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं और गलत खबरें और सूचनाएं प्रसारित कर रहे थे। सरकार के निर्देश के बाद ट्विटर ने कुछ एकाउंट ब्लॉक तो कर दिए, मगर उसने बाद में इनमें से कई एकाउंट्स को फिर से बहाल कर दिया। तब ट्विटर की ओर से बयान जारी कर कहा गया था कि उसने कुछ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के अकाउंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

ट्विटर ने कहा था, हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते रहेंगे और हम भारतीय कानून के अनुसार इसका रास्ता भी निकाल रहे हैं।

यानी डोर्सी ने अपने जवाब में जो कुछ कहा, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सरकार के कहने पर कुछ एकाउंट्स बंद हुए थे। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने का हवाला दे रही है। इंदिरा गांधी के शासन में जब राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू करने का फैसला लिया था, उस वक्त भी देश की कानून व्यवस्था बिगड़ने, अराजकता कायम होने का डर था। अगर भाजपा अपने फैसले को अभी सही ठहरा रही है, तो फिर आपातकाल की आलोचना वह किस तरह कर सकती है।

वैसे भारत अकेला देश नहीं है, जहां ट्विटर पर इस तरह का दबाव डाला गया हो। अप्रैल में जारी हुई ट्विटर की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक एक जनवरी 2022 से 30 जून 2022 के बीच ट्विटर को दुनियाभर की सरकारों ने कॉन्टेंट हटाने की मांग करते हुए 53000 कानूनी नोटिस भेजे हैं। 85 से अधिक देशों की सरकारों ने यूजर डेटा हासिल करने की 16 हजार से अधिक मांगें भेजीं। ट्विटर के मुताबिक ऐसी मांग करने वाले शीर्ष देश भारत, अमेरिका, फ्रांस, जापान और जर्मनी हैं और इनमें सबसे ऊपर भारत है। मोदी सरकार इन मांगों के पीछे भी कानून व्यवस्था का हवाला दे सकती है।

खास बात ये है कि जैक डोर्सी के आरोप पर भाजपा मामले को खींचतान कर कांग्रेस तक ले गई। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस मामले को राहुल गांधी की विदेश यात्रा, वहां हो रही बैठकों, सरकार की आलोचना करने वाले संगठनों का साथ देने से जोड़ते हुए कांग्रेस की पूरी टूलकिट समझा दी। किसान आंदोलन के दौरान ऐसे ही टूलकिट का बवाल ट्विटर पर खड़ा किया गया था। अब टूलकिट को कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है। जबकि जैक डोर्सी ने कहीं कांग्रेस का नाम नहीं लिया, न ही किसान आंदोलन कांग्रेस के कहने से खड़ा हुआ था। अभी देश में जो कुछ हो रहा है, उसकी सारी जवाबदेही मोदी सरकार की बनती है। हर बात पर कांग्रेस की करतूत होने का रोना रोने की बजाय भाजपा को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह अपने शासन में किस तरह का सुधार लाए ताकि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के आरोप उस पर न लगें।

अल नीनो से गर्मी और सूखा बढ़ने का खतरा

अल नीनो लौट आया है। इससे तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि हो सकती है। भारी बारिश का जोखिम बढ़ सकता है। कुछ इलाकों में सूखा खत्म हो सकता है, तो कई जगहों पर सूखा आ सकता है। पिछली बार 2018 से 2019 तक अल नीनो का असर रहा था।

अमेरिका के नेशनल ओशिएनिक एंड एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) ने 8 जून को बताया कि कथित अल नीनो लौट आया है। एनओएए ने क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर के जलवायु वैज्ञानिक मिषेल लूहोर के हवाले से बताया कि अपनी ताकत के आधार पर, अल नीनो कई तरह के प्रभाव पैदा कर सकता है. मसलन, मूसलाधार बारिश का जोखिम और दुनिया के कुछ खास क्षेत्रों में सूखे की आशंका बढ़ा सकता है।

बयान के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन अल नीनो से जुड़े कुछ प्रभावों को बदतर या कम करता है। जैसे, अल नीनो के कारण ऊंचे तापमान के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं, खासतौर पर उन इलाकों में जहां अल नीनो के दौरान तापमान पहले ही औसत से ज्यादा है।

अलग–अलग हिस्सों पर कैसा असर

अल नीनो के असर की वजह से अक्सर दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बारिश बढ़ जाती है. इससे इन इलाकों में आखिरकार सूखे की स्थिति खत्म होने की उम्मीद जगती है. हालांकि इस जलवायु पैटर्न के कारण ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में सूखे का जोखिम बढ़ सकता है।

इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया ने चेतावनी दी थी कि अल नीनो के कारण देश में गर्म और शुष्क दिनों में इजाफा होगा। ऑस्ट्रेलिया पहले ही जंगलों की आग के प्रति बेहद संवेदनशील है।

जापान ने भी वसंत में रिकॉर्ड गर्मी के लिए अल नीनो को जिम्मेदार बताया है। एनओएए के मुताबिक, अमेरिका में गर्मियों के दौरान अल नीनो का प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर होगा, लेकिन यह पतझड़ से मजबूत होने लगेगा और वसंत में भी यही स्थिति बनी रहेगी।

एक ओर जहां अटलांटिक में तूफान की सक्रियता पर अल नीनो का असर निषेधात्मक होता है, वहीं मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में आमतौर पर यह तेज आंधी–तूफान की संभावना बढ़ाता है।

अल नीनो है क्या?

जलवायु से जुड़ा यह पैटर्न औसतन हर दो से सात साल पर आता है. स्पैनिश भाषा में अल नीनो का मतलब होता है, लिटिल बॉय यानी छोटा लड़का. इसका संबंध अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के गर्म चरण से है।

मुख्य रूप से इसकी शुरुआत पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असामान्य तौर पर गर्म पानी के कारण होती है. माना जाता है कि भूमध्यरेखीय प्रशांत के पास पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ट्रेड विंड्स के धीमा होने या विपरीत दिशा में बहने पर यह पैटर्न बनता है।

अल नीनो के इस दौर के शुरू होने से पहले मई में समुद्र की सतह का औसत तापमान अब तक दर्ज किसी भी रिकॉर्ड से करीब 0.1 सेल्सियस ज्यादा था। पिछली बार अल नीनो का गर्म प्रभाव 2018 से 2019 के बीच आया था। इसके बाद एक ठंडा दौर चला, जिसे ला नीना कहते हैं।

स्पैनिश में ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल, यानी छोटी लड़की। यह अल नीनो का ठंडा प्रतिरूप है। इस दौरान भूमध्यरेखा के पास पूर्वी और मध्य प्रशांत सागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कम होता है।

अल नीनो का सबसे मजबूत असर 2015–16 में दिखा था, जब ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ के करीब एक तिहाई प्रवाल मर गए थे।

अखिल भारतीय शान्ति व एकजुटता संगठन, बिहार का आयोजन

चे ग्वेरा ने समाजवाद के लिए नया इंसान बनाने पर जोर दिया

अनीश अंकुर

पटना: अखिल भारतीय शान्ति व एकजुटता संगठन (ऐप्सो) द्वारा महान लेटिन अमेरिकी क्रांतिकारी अरनेस्तो चे ग्वेरा की 95वीं जयँती के मौके पर मैत्री–शान्ति भवन में मनायी गयी। ऐप्सो के इस कार्यक्रम में शहर के बुद्धिजीवी, साहित्यकार, रंगकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक आदि मौजूद थे।

सभा का संचालन करते हुए ऐप्सो के कार्यालय सचिव जयप्रकाश ने चे ग्वेरा के अनूठे जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चे ग्वेरा का जन्म 1928 में अर्जेन्टीना में हुआ था। क्यूबा में उन्होंने क्रांति की तथा बोलीविया में साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। उसके पहले उन्होंने मोटरसाईकिल से लेटिन अमेरिका की यात्रा की। क्यूबा में क्रांति के बाद वे भारत भी आये। नेहरू जी को वे सम्मान की नजर से देखते थे। भारत आकर वे कई जगहों पर गए भी। यहां के लोगों को समझने की कोशिश की।

विषय प्रवेश करते हुए ऐप्सो के राज्य महासचिव अनीश अंकुर ने कई उदाहरण देते हुए बताया कि अरनेस्तो चे ग्वेरा आज पूरी दुनिया में विद्रोह, क्रांति व रोमानीपन के प्रतीक बन चुके हैं। उनके जीवन में एक मुश्किल वक्त आया जब वे या तो डॉक्टर बनते या फिर क्रांतिकारी! चेग्वेरा ने दवा का बैग छोड़ दिया और हथियार को पकड़ा यह सोचकर की तमाम समस्याओं की जड़ में पूंजीवाद–साम्राजवाद है। इसे उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति की आवश्यकता है। तब क्यूबा अमेरिका साम्राज्यवाद का चारागाह हुआ करता था। वहाँ अमेरिका की राजदूत की हैसियत राष्ट्रपति से भी अधिक थी। ऐसी परिस्थितियों में क्यूबा में क्रांति सम्पन्न करने के बाद चे ग्वेरा बोलीविया में क्रांति करने गए और वहीं शहीद हो गए। चे ग्वेरा ने कहा कि समाजवादी देश में उत्पादक शक्तियों को विकसित करने के बजाये नया मनुष्य, नया इंसान बनाने को प्राथमिकता दी। प्रगति व विकास के पूंजीवादी मानकों को प्राप्त करने के बदले चेतना सम्पन्न बनाने की जरूरत पर बल दिया। इस बात के लिए उन्होंने सोवियत संघ के तत्कालीन नेतृत्व की आलोचना भी की थी। विकास की दौड़ में पूंजीवादी देशों से आगे जाने के बजाये लोगों के मन–मिजाज को बदलने पर बल देना चाहिए। आर्थिक समाजवाद के बदले उन्होंने कम्युनिस्ट नैतिकता की बात की। क्यूबा के महान मुक्केबाज तथा तीन बार ओलम्पिक विजेता तियोफीलो स्टीवेंशन और विश्व प्रसिद्ध मुहम्मद अली के बीच व्यावसायिक मुकाबला नहीं हो सका क्योंकि क्यूबा में पैसे के लिए खेल पर प्रतिबंध था।

ऐप्सो के राज्य महासचिव सर्वोदय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि चे ग्वेरा ने सबसे पहले मोटरसाईकिल से पूरे लेटिन अमेरिका की यात्रा की। जब 1954 में ग्वाटेमाला में चुनी हुई जैकब अरबेंज की सरकार को अमेरिकी साम्राजवाद के इशारे पर गिराया गया इसका बहुत गहरा प्रभाव चे ग्वेरा पर पड़ा। चे ग्वेरा गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से क्रांति को अंजाम देते हैं। क्यूबा की क्रांति के बाद वे उद्योग मंत्री तथा नेशनल बैंक के चेयरमैन बनाये गए। चे ग्वेरा को लगा की सिर्फ क्यूबा में क्रांति कर देने से कुछ नहीं होगा इसीलिए बोलीविया में क्रांति करने गए। वहीं सीआईए के इशारे पर उनकी हत्या की गई। उनकी लाश को अनजान जगह पर दफना दिया गया। उस समय पूरे लेटिन अमेरिका में बहुत गरीबी थी, जो परिस्थिति थी उसमें गुरिल्ला युद्ध को विकसित करने की कोशिश की। चे ग्वेरा ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई वियतनाम खड़ा करने की कोशिश की ताकि साम्राज्यवाद का प्रभावी मुकाबला किया जा सके। चे ग्वेरा की मौत मात्र 39 साल की उम्र में हो गई। उनकी मौत के 10 दिन के बाद फिडेल कास्त्रो ने जो भाषण दिया उससे बहुत भ्रम दूर हुआ उनके और चे के बीच मतभेद था। मार्क्सवाद हर देश के अनुसार अपना रूप ग्रहण करता है। मार्क्सवाद में क्यूबा ने बहुत कुछ जोड़ा। चे ग्वेरा की अंतराष्ट्रीयतावाद की उनकी भावना से सीखने की जरूरत है।

माकपा नेता अरुण मिश्रा ने क्यूबा और सोवियत संघ की अपनी यात्रा का अनुभव सुनाते हुए कहा कि क्यूबा में समाजवाद के रास्ते से मनुष्य का निर्माण किया किया जा रहा था इसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे क्यूबा में हुआ। मुझे 1978 में सोवियत संघ और क्यूबा दोनों जगहों पर जाने का मौका मिला। सोवियत संघ में बातचीत को लेकर एक पाबन्दी सी रहा करती थी खुलकर बात नहीं हो पाती थी जबकि क्यूबा में एकदम उलट स्थिति थी वहां आप खुलकर बात कर सकते थे, अपने विचार प्रकट कर सकते थे। क्यूबा की यात्रा मेरे साथ उस यात्रा में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। क्यूबा में मैंने बच्चों को देखा और उनसे बात की तो पता चला की कि वे सब के सब चे ग्वेरा बनना चाहते थे। क्यूबा आज अमेरिकी साम्राज्यवाद के सबसे अमानवीय प्रतिबंधों का शिकार है। दूसरे देशों से वह जरूरी सामान नहीं मंगा सकता है। आज क्यूबा अमेरिका के मुनरो सिद्धांत का शिकार है जिसके अनुसार क्यूबा को अमेरिका अपना पिछवाड़ा समझता आया है। क्यूबा के लोग जब अन्य देश जाते थे तो दूसरे के यहाँ खाना खाते थे ताकि उससे बचा पैसा क्यूबा भेज सके। यह थी नए इंसान बनाने की क्यूबा में कोशिश।

इस्कफ के महासचिव रवीन्द्र नाथ राय ने क्यूबा यात्रा का प्रेरक अनुभव सुनाते हुए कहा कि क्यूबा ने नए इंसान बनाने की कोशिश की जो हमारे लिए सीखने की जरूरत है। क्यूबा से सीखा जाए आभाव और मुश्किलों के बाद भी बेहद जीवंतता के साथ जिन्दगी कैसे जीते हैं। वहां चकाचौंध नहीं था लेकिन लोग बहुत जीवंत थे तथा गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करते थे।

अधिवक्ता लक्ष्मीकांत तिवारी ने कहा कि चे ग्वेरा का जीवन हम सब लोगों को आत्मसात करने की जरूरत है। मार्क्सवाद के गहराई में जाने पर पता चलता है कि उसमें कितना रोमानीपन है। हम भी प्रयास करें तो चे ग्वेरा बन सकते हैं।

सभा की अध्यक्षता करते हुए ऐप्सो राष्ट्रीय अध्यक्षमंडली के सदस्य रामबाबू कुमार ने कहा कि चे ग्वेरा के बारे में विलक्षण बात है कि उनकी टोपी, टैटू आदि युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि चे ग्वेरा बनने के लिए किन किन रास्तों से गुजरना होता है। चे ग्वेरा ने बचपन में अपने ही घर के लेबोरेट्री में एक दवा बनाने की कोशिश की थी। वे बचपन में अस्थमा के शिकार हो गए थे। उन्होंने 45 हजार किमी की यात्रा साईकिल से की उसके बाद मोटरसाईकिल से यात्रा की। 1953 में स्टालिन की मौत के बात शपथ लेते हैं कि दस्यू लोगों से मुक्ति के लिए स्टालिन की आवश्यकता है। उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में तीन हजार किताबें थी जिसमें नेहरू की किताबें भी थी। चे ग्वेरा के कठिन रास्तों से गुजरे बगैर सिर्फ टीशर्ट पहनकर, टोपी लगाकर टैटू लगाने से कुछ नहीं होगा।

कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख लोगों में थे प्राच्यप्रभा के सम्पादक विजय कुमार सिंह, बी. एन. विश्वकर्मा, प्रलेस के गजेंद्रकांत शर्मा, प्राथमिक शिक्षकों के नेता भोला पासवान, आनंद शर्मा, जितेंद्र कुमार, मनोज कुमार, कवि चन्द्रबिंद सिंह, कमलकिशोर, सुनील सिंह, देवरत्न प्रसाद, सुशील शर्मा, अमर मोहन, अमन लाल आदि।

विश्व पर्यावरण दिवस–प्लास्टिक प्रदूषण पर गोष्ठी एवं संकल्प सभा

अरविंद पोरवाल

इंदौर: अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लास्टिक प्रदूषण पर केन्द्रित विचार गोष्ठी का आयोजन श्रम शिविर, इंदौर में किया गया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ पर्यावरणविद श्री ओ पी जोशी थे। अध्यक्षता संस्था के अध्यक्षमण्डल सदस्य, सुरेश उयाध्याय, शिवाजी मोहिते एवं श्याम सुंदर यादव ने की। विषय प्रवर्तन अरविंद पोरवाल ने किया। सभा में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को निरुत्साहित करने और इस संबंध में जन–जागृति के लिए काम करने का संकल्प लिया गया। कान्ह नदी के पुनर्जीवन के लिए जारी प्रयासों में भी संस्था द्वारा सहभागिता का प्रस्ताव पारित किया गया। श्रम शिविर परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया।

मुख्य अतिथि श्री ओ पी जोशी ने प्लास्टिक प्रदूषण के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज हम प्लास्टिक युग में जी रहे है और प्लास्टिक हमारी जीवन शैली का अंग बन चुका है। आसन्न और स्पष्ट खतरों के बावजूद इसके आर्थिक और सामाजिक पहलू हैं और इसका उपयोग पूर्णतया बंद करना असंभव है। आज दुनिया में उपयोग किए जा रहे एकल उपयोग प्लास्टिक का 10 प्रतिशत ही रिसाइकल हो रहा है और हमारी धरती और समुद्र प्लास्टिक कचरे से लगातार प्रदूषित हो रही है। अनेक शोध का हवाला देते हुए उनने बताया कि खाद्य एवं पेय सामाग्री की पैकेजिंग एवं भंडारण

में इसके उपयोग से माइक्रो–प्लास्टिक कण मानव शरीर में पहूंचकर स्वास्थ्य संबंधी विकृतियाँ और बीमारी पैदा कर रहे हैं। आज आवश्यक है कि हम अपनी सामाजिक एवं मानवीय जिम्मेदारी को समझें और एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को निरुत्साहित और खत्म करने कि दिशा में ईमानदार प्रयास करें।

श्री सुरेश उपाध्याय ने कहा कि आज सरकार और बाजार के लिए हम केवल एक उपभोक्ता हैं। आज हमारी चिंताओं और सरोकारों में पर्यावरण, आदमी और रहने लायक दुनिया कहीं नहीं है। दुनिया में लगातार घटित हो रही प्राकृतिक आपदाएँ हमारी मनुष्य निरपेक्ष सोच का ही परिणाम है। हमें बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान नजरिया बदलना होगा।

कांग्रेस के प्रदेश सचिव श्री राहुल निहोरे ने कहा कि हमें, वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण जैसे तमाम मुद्दों पर एक साथ ध्यान देना होगा।

विषय प्रवर्तन करते हुए अरविंद पोरवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण कि दिशा में सरकारों और कार्पोरेटों का रवैया मजबूरी वाला और रस्मी होता है और जो भी काम हो रहे हैं वे जन–दबावों के चलते ही संभव हुए हैं। एक बेहतर और रहने लायक दुनिया का निर्माण संगठन के कार्य–लक्ष्यों में शामिल है और पर्यावरण रक्षा कि दिशा में जन चेतना और जन–आंदोलन खड़ा करना संगठन कि प्राथमिकताओं में है।

इस अवसर पर रामस्वरूप मंत्री, विवेक मेहता, रुद्रपाल यादव, अशोक दुबे, अरुण चौहान, सोहनलाल शिंदे, रमेश झाला, विजय दलाल, चुन्नीलाल वाधवानी, लक्ष्मीनारायण पाठक, सपना वाधवानी दिलीप कौल, भारतसिंह ठाकुर, सीताराम सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे।

वर्ष 2023–24 के लिए न्यूनतम...

पेज 3 से जारी...

मूल्य पर खरीद की सरकारी व्यवस्था है। फसलों के विविधीकरण की आवश्यकता पर कितना भी जोर दिया जाता रहे, जब तक अन्य कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सरकारी व्यवस्था नहीं होती, किसानों से यह आशा करना निरर्थक है कि वह धान की फसल के स्थान पर अन्य किसी कृषि उपज की खेती में करने लगे।

देश के किसान आंदोलन की यह एक प्रमुख मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक कानूनी जाम पहनाया जाए जिसके अनुसार सरकार खरीदे या निजी व्यापारी खरीदें, सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएं; कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीदने को एक आपराधिक एवं दंडनीय कार्य बनाया जाए ताकि कोई भी निजी व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीदने की तिकड़म न करे। जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता, किसानों को उनकी उपजों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल सकता।

2020–21 में संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे तले एक वर्ष से भी अधिक किसानों का जो महासंग्राम चला, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाना एक प्रमुख मांग थी। किसान विरोधी एवं कारपोरेट हितैषी तीन कृषि कानूनों को सरकार द्वारा निरस्त किए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने के संबंध में सम्यक विचार करने के सरकार के वायदे के बाद ही किसानों ने उस संघर्ष को स्थगित किया था। एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है परंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा को किए गए वायदे के संबंध में मोदी सरकार ने अभी तक कुछ भी सकारात्मक नहीं किया है। अतः संयुक्त किसान मोर्चा फिर से उस संघर्ष को शुरू करने की दिशा में विचार करने पर मजबूर हो रहा है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दा है इसे सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने और उसकी सरकारी खरीद की व्यवस्था की मांग के लिए इस समय हरियाणा में जारी किसानों के संघर्ष से समझा जा सकता है।

सूरजमुखी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, इस मांग के लिए हरियाणा के किसानों ने 6 जून 2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (जीटी रोड) को कुरूक्षेत्र जिले के शाहबाद में रोक लिया। दिन भर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा और पुलिस द्वारा बल प्रयोग और किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ही राष्ट्रीय राजमार्ग खुल सका। लेकिन उसके बाद भी हरियाणा विभिन्न स्थानों पर किसानों का धरना और आंदोलन जारी रहा। अंततः पीपली में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (जो चंडीगढ़ को दिल्ली से जोड़ता है) के लगातार 33 घंटे आंदोलनरत किसानों द्वारा जाम रहने पर हरियाणा प्रशासन की नींद खुली। कुरूक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर ने किसान नेताओं से बात की और आश्वासन दिया कि उनकी फसल को वाजिब दाम में खरीद को सुनिश्चित किया जाएगा और उनकी अन्य मांगों, जिनमें गिरफ्तार किसान नेताओं की तुरंत रिहाई की मांग भी शामिल है, पर भी विचार किया जाएगा। प्रशासन के आश्वासन के बाद किसान राष्ट्रीय राजमार्ग से हट गए।

2018 में हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण योजना को बढ़ावा देने के लिए सूरजमुखी की पूरी फसल को सरकार द्वारा खरीदे जाने का ऐलान किया था। इसके फलस्वरूप 2022–23 में सूरजमुखी की खेती का क्षेत्रफल 2018–19 के 9,440 हेक्टेयर से बढ़ 14,107 हेक्टेयर हो गया है। मुख्यतः कुरूक्षेत्र, अंबाला के अलावा पंचकुला के कुछ इलाकों में सूरजमुखी की खेती है। इस साल सरकारी एजेंसियां सूरजमुखी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए सामने नहीं आई। अतः किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा।

द इंडियन एक्सप्रेस (15 जून 2023) के अनुसार, इस वर्ष सरकारी एजेंसियों ने कुल 26.2 मिलियन टन खाद्यान्न की खरीद की, जबकि 2021 में उन्होंने 43.3 मिलियन टन खाद्यान्न की खरीद की थी। इस वर्ष सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न खरीद की इतनी कम खरीद का इसके सिवा क्या अर्थ हो सकता है कि सरकार निजी क्षेत्र को अवसर प्रदान कर रही है कि वह अधिकाधिक खाद्यान्न खरीदे। जाहिर है जब निजी क्षेत्र खरीद करेगा तो किसानों को अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम मिलेगा। हो भी यही रहा है।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिका: भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़: प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाष: 011–23523349, 23529823
ईमेल: pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोन: 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोन: 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोट: आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरण:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट: 32074674284, आई.एफ.सी. कोड: SBIN0009371

आंदोलन में एक लाख से अधिक लोगों ने लिया...

पेज 1 से जारी...

आर झा, नौशाद आलम आदि जिला एवं अंचल नेतृत्व के साथियों ने आंदोलन का नेतृत्व किया।

आंदोलन के दूसरे दिन नौ जून को भी बिहार के विभिन्न जिलों में हजारों लोगों ने भाग लिया। सत्याग्रह कार्यक्रम के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं सहित हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जानकी पासवान, राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर, राजश्री किरण, राज्य सचिवमंडल के सदस्य रामचन्द्र महतो, रामबाबू कुमार, अजय कुमार सिंह और प्रभा शंकर सिंह, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य विजय शंकर सिंह, ओमप्रकाश क्रांति, प्रभात पांडे प्रभाकर सिंह आदि शामिल रहे।

पटना में जिला समाहरणालय के समक्ष हजारों लोगों ने 8 और 9 जून को सत्याग्रह में भाग लिया। यहां सत्याग्रह का नेतृत्व पार्टी के सचिव मंडल के सदस्य रामलला सिंह, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य अजय कुमार, गज नफर नवाब एवं विश्वजीत कुमार ने नेतृत्व किया। विपरीत मौसम में भी एक लाख से अधिक लोगों का सत्याग्रह में शामिल होना इस बात का घोतक है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की केंद्र की भाजपा सरकार से ऊब चुकी है और उसे और अधिक दिनों तक सत्ता में नहीं देखना चाहती है।

बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्यभर में पदयात्रा का आयोजन कर लोगों को यह बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने कुकृत्य और नीतियों से राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचा रही है। वह संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रही है। विपक्ष की आवाज दबा रही है। संविधान के आदर्शों और मूल्यों को बदलने की साजिश कर रही है। कारपोरेट और बड़े पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए आम लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण जैसे मुसीबतों में धकेल रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी हाथों बेच रही है। इन सब प्रश्नों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार को हटाने की अपील जनता से कर रही है। बिहार की जनता ने सत्याग्रह में शामिल होकर भाजपा का केंद्र से हटाने का समर्थन किया। भाकपा के सत्याग्रह में शामिल होकर महिला और युवाओं ने भाजपा हटाओ देश बचाओ नारों का पुरजोर समर्थन किया। सत्याग्रह कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं और युवकों की अच्छी भागीदारी रही।

पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने भाकपा के सत्याग्रह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और राज्य के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र से भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने के लिए से संघर्ष और तेज किया जायेगा। इस आंदोलन ने तय कर दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से जाना तय है।

मधेपुरा

8 जून 2023 केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों एवं भाजपा सरकार की विफलताओं के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर जन सत्याग्रह एवं जेल भरो आंदोलन के तहत भाकपा कार्यकर्ताओं ने मधेपुरा समाहरणालय के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी।

प्रदर्शन कला भवन परिसर से निकलकर समाहरणालय पहुंचा, वहां तैनात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के साथ भाकपा कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई, आक्रोशित भाकपा कार्यकर्ता कुछ कर गुजरने को आतुर थे, परंतु नेताओं की सूझबूझ से किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया गया। आंदोलनकारियों की भीड़ के कारण समाहरणालय के सामने एन एच 106 जाम हो गया था। लगभग दो हजारआंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

समाहरणालय के मुख्य द्वार पर आंदोलनकारियों में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए भाकपा के

पटना

राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि देश अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहा है, दहशत और आतंक के बीच जी रहे हैं कमजोर वर्ग के लोग। देश को दो गुजराती बेच रहे हैं, दो गुजराती खरीद रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बलात्कारियों एवं दंगाइयों को संरक्षण दे रही है केंद्र की मोदी सरकार।

भाकपा के जिला मंत्री विद्याधर मुखिया ने कहा कि भूमिहीनों को वासगीत पर्चा एवं पर्चाधारियों के जमीन पर कब्जा दिलाने में किसी प्रकार की उदासीनता एवं अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि न्यायालय एवं प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी, गैर सरकारी जमीन की अवैध खरीद, बिक्री बदस्तूर जारी है। उन्होंने चेताया कि भूमाफियाओं की हो रही है चांदी, इस पर रोक लगाई जाए नहीं तो होंगे गंभीर परिणाम। भाकपा के राज्य परिषद सदस्य शैलेंद्र कुमार एवं युवा नेता पवन कुमार ने कहा कि केंद्र की सरकार किसान मजदूर विरोधी है। उन्होंने मक्का का समर्थन मूल्य घोषित कर खरीद सुनिश्चित करने एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले किसानों को दस हजार रूपये मासिक पेंशन देने की मांग भी की।

किसान सभा के राज्य सचिव रमन कुमार एवं किसान नेता कुंदन यादव, भाकपा के अंचल मंत्री बाल किशोर यादव, भाकपा के मुरलीगंज अंचल मंत्री अनिल भारती एवं सहायक अंचल मंत्री रमेश कुमार शर्मा, भाकपा के वरीय नेता प्रो. ललन कुमार मंडल, युवा नेता शंभू क्रांति एवं मोहम्मद जहांगीर, मजदूर नेता मोहम्मद सिराज एवं कृत्यानंद रजक ने भी आंदोलनकारियों को संबोधित किया।

आंदोलन में भाकपा नेता गजेंद्र यादव, दशरथ यादव, छोटे यादव, बूटीश स्वर्णकार, उमाशंकर मुन्ना, अजय राम, बबलू मुर्मू, सोनेलाल महतो, बलराम यादव, लालू यादव, मो. वासील,नवीन यादव आदि बड़ी संख्या में किसान मजदूर एवं महिलाएं शामिल थी।

मधेपुरा, 9 जून 2023

केंद्र सरकार की दमनकारी एवं अलोकतांत्रिक नीतियों के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर भाजपा हटाओ, देश बचाओ, नारे के आंदोलन के दूसरे दिन भाकपा कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन किया।

चिलचिलाती धूप में भी भाकपा कार्यकर्ताओं का तेवर अपने चरम पर

सासाराम

था, जिलाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के साथ 1500 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर स्टेडियम ले गये, जहां दो घंटे के बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया। भाकपा नेताओं ने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा।

आंदोलनकारियों एवं उपस्थित आम जनों को संबोधित करते हुए भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में भारतीय संविधान और राष्ट्रीय झंडा सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा–आरएसएस देश के अंदर फिर एक बार मनुस्मृति का विधान लागू करना चाहती है एवं लाल किले पर भगवा परचम फहराना चाहती है।

भाकपा के जिला मंत्री विद्याधर मुखिया ने कहा कि किसानों, मजदूरों, दलितों, अकलियतों एवं महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे।

प्रदर्शन को भाकपा के राज्य परिषद सदस्य उमाकांत सिंह, पार्टी के राज्य परिषद सदस्य शैलेंद्र कुमार, पार्टी के सहायक जिला मंत्री मुकुंद प्रसाद यादव, भाकपा के वरीय नेता उमेश यादव, जगत नारायण शर्मा, अंबिका मंडल, सागर चौधरी, बाबूलाल मंडल, मोहम्मद जहांगीर, भाकपा के युवा नेता पवन कुमार, रमेश कुमार शर्मा एवं बाल किशोर यादव, एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष वसीम उद्दीन उर्फ नन्हे, मजदूर नेता दिलीप पटेल, अरुण कुमार तांती, बिंदेश्वरी यादव, मनोज राम, मोहम्मद सिराज, अजीत शर्मा एवं विजेंद्र मंडल ने भी संबोधित किया। प्रदर्शन में भाकपा के वरीय नेता चंद्रशेखर पौदार, अनिल पासवान, सिकंदर राम, सचिदा शर्मा, उपेंद्र चौधरी, शशि शर्मा, शंभू पासवान, ओंकार मंडल मुन्ना साह, ब्रह्मचारी पासवान आदि बड़ी संख्या में आंदोलनकारी शामिल थे।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 18 – 24 जून, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 16.6.2023

जनगर्जना रैली में उमड़े लाखों लोग

सरकार से की वायदे पूरे करने की मांग

''जन गर्जन'' नाम से एक विशालकाय रैली भाकपा तेलंगाना राज्य ने 10 जून को कोठागुदम के प्रकाशम स्टेडियम में आयोजित की गई।

कोठागुदम कोयला पट्टी क्षेत्र की सड़कें भाकपा के कैडरों के लाल परिधान से लाल रंग में रंग गई थी। कोठागुदम के लगभग हर गांव से पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक सभा के लिए झंडे–बैनरों के साथ आए थे, साथ ही साथ जनसेवा दल के हजारों रेड गार्डस, लाल कमीजों में और लाल साड़ियों में, सभा के लिए आए। सभा में बड़ी संख्या में आदिवासियों ने भागीदारी की। सभा में खम्मम के अलावा, आदिलाबाद, करीमनगर और वारंगल जिले के पार्टी कैडर शामिल थे। कोठागुदम के इतिहास में इतनी भी विशालकाय सभा इस से पहले तीन हो चुकी है। सभा में कैडरों की भारी भारीदारी से आगामी चुनाव की सरगर्मी छलक रही थी।

सभा में भाकपा राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य डॉ. के. नारायणा, भाकपा केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सी.वैंकट रेड्डी, भाकपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य मनीष कुंजाम, भाकपा तेलंगाना राज्य सचिव कुनामेनी संबाशिव राव के अलावा तेलंगाना राज्य सचिवमंडल के समस्त सदस्य, खम्मम, कोठागुदम के जिला सचिव, राज्य एटक एवं इप्टा के सदस्य आदि शामिल थे।

सभा की अध्यक्षता तेलंगाना राज्य सचिव कुनामेनी संबाशिव राव ने की।

डॉ. के. नारायणा ने अपने संबोधन में राजनीतिक एकता के लिए मात्र आंकड़ों की जगह राजनीतिक समझ पर जोर दिया। डॉ. नारायणा ने कहा कि तेलंगाना राज्य स्थापना के पूर्व से ही भाकपा इस क्षेत्र में आंदोलन कर रही है। तेलंगाना सशस्त्र आंदोलन से तेलंगाना क्षेत्र को भारत में विशिष्ट पहचान मिली है। तेलंगाना राज्य के गठन के लिए आंदोलन में भाकपा की सक्रियता भाकपा नेता एवं पूर्व विधायक संबाशिव राव की टाडा के तहत गिरफ्तारी से पता चलता है जिसके विरोध में कोठागुदम में इस सभा से पहले इस तरह की भीमकाय सभा हुई थी।

डॉ. नारायणा ने राज्य की गैर–भाजपा राजनीति की लामबंदी के संदर्भ में याद दिलाया कि भाकपा ने टीडीपी, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था जिसमें इस गठबंधन के कारण दस में से आठ सीटें मिली थी। राज्य में केसीआर सरकार द्वारा विधानसभा में किए गए वादों को पूरा न करने पर केसीआर के प्रति अपना रोष जताते हुए डॉ. नारायणा ने कहा कि केसीआर के दलितबंधु कार्यक्रम की हालत ऐसी है जैसे कि हर गांव को एक मुर्गी और

राम नरसिम्हा राव

गांव के हर घर में एक पंख मुर्गी का।

सरकार ने 11 लाख पोडु जमीन पट्टे की घोषणा की थी, केसीआर सरकार ने अपनी ही घोषणा का मजाक उड़ाते हुए हाल ही में घोषणा की कि सरकार केवल चार हजार एकड़ पट्टे की अनुमति देगी। राज्य के आगामी चुनावों के परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक में भाजपा के नेताओं के गली–गली घूमने के बाद मिली हार के हवाले से नारायणा ने कहा कि तेलंगाना में भाजपा नेता नरेंद्र मोदी, अमितशाह और नड्डा घूम रहे हैं लेकिन राज्य सत्ता पर उनका काबिज होना आसमान से तारे तोड़ना जैसा है। भाजपा ने सीबीआई और ईडी जैसे संवैधानिक निकायों को अपना जेबी संगठन बनाया हुआ है और उसके माध्यम से भाजपा ब्लैकमेल करने की राजनीति कर रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस ब्लैकमेल की राजनीति का असली मुखौटा जनता के सामने लाएगी।

मोदी नीत भाजपा सरकार की नाकामयाबियों और कुशासन की ओर ध्यान दिलाते हुए चुनाव के समय गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 400 रु. था जो अब बढ़कर 1150 रुपये हो गई है। सभी अनिवार्य वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। आम जनता को बोझ कम करने की बजाय मोदी सरकार ने धनाढ्य वर्गो के टैक्स को 32 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी और अडानी जुड़वा की भांति हैं और एक साथ देश की संपत्ति का दोहन कर रहे हैं।

नारायणा ने नरेन्द्र मोदी नीत सरकार के सत्ता पर होने से कॉर्पोरेट कंपनियों के हित में कानून बनाने पर सवाल उठाया कि क्या ये सरकार कार्पोरेट कंपनियों और क्रोनी पूंजीपतियों के लिए काम नहीं कर रही है?

जनता विरोधी संविधान विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ भाकपा धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक राजनीतिक पार्टियों के साथ संयुक्त संघर्ष जारी रखेगी और जनता इन्हें उचित सबक सिखाएगी। भाकपा केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सी.वेंकट रेड्डी ने जनता का ध्यान भाजपा की विद्वेषकारी नीतियों की ओर आकृष्ट करते हुए कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है और देश को नष्ट करने की सभी तैयारियों में लगी है। ऐसी परिस्थिति में सभी कम्युनिस्टों को सांप्रदायवादी ताकतों के खिलाफ काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि जब भाकपा विधानसभा में कोठागुदम सीट का प्रतिनिधित्व करती थी तब बय्यारम स्टील प्लांट बचा हुआ था। इस क्षेत्र और देश की जनता के कल्याण के लिए कई कम्युनिस्टों ने अपनी जान दी। यहां तक कि वर्तमान तेलंगाना राज्य की मांग के लिए आंदोलन में भाकपा ने महती भूमिका निभाई है। भाकपा की इन भूमिकाओं के आगे भाजपा किस नैतिक अधिकार से जनता के पास वोटों के लिए जाएगी।

तेलंगाना राज्य सचिव कुनामेनी संबाशिव राव ने आजादी के आंदोलन के दौरान कम्युनिस्टों द्वारा छेड़े गए आंदोलनों, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन और जोतदार को जमीन, भूमि सुधार आंदोलन का हवाला दिया। कम्युनिस्टों के त्याग और निष्ठा का नतीजा है कि आज भी पार्टी से कोई पैसा लिए बगैर इस विशाल सभा में एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाकपा ने आजादी की लड़ाई के दौरान समानता, भाईचारा और बंधुत्व पर जोर दिया था और इन विचारों को संविधान में बी.आर. अम्बेडकर शामिल किया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में गैर–बराबरी, गरीबी, शोषण, उत्पीड़न रहेगा भाकपा इनके खिलाफ आंदोलन जारी रखेगी और अपने आंदोलनों को चेग्वारा, भगत सिंह, इयलम्मा, शेषागिरी, कोमारैया के आदर्शों से प्रेरणा लेती हुई, मजबूत और निर्णायक बनाएगी। भाकपा रोजगार को ठेके पर देने, अनुबंध के खिलाफ, नौकरियों को स्थायी करने, सामाजिक सुरक्षा, बेघरों के लिए घर, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आंदोलन छेड़ने के अलावा किसानों के कर्ज माफ, प्रत्येक घर निर्माण के लिए दस लाख रुपये आवंटित करने, तत्काल बेरोजगारी भत्ता देने की मांग के लिए सघन संघर्ष करेगी।

सभा के दौरान इप्टा के जत्थों ने क्रांतिकारी गीतों एवं लोक नृत्य से सभा में जोश भरा।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.